# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

---

सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)

---

संख्या 227

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. राष्ट्र गान**

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

**2. सदस्यों द्वारा शपथ**

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

| क्रम सं॰ | सदस्य का नाम | निर्वाचन क्षेत्र | राज्य | शपथ/ प्रतिज्ञान | भाषा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर | शपथ | कश्मीरी |
| 2. | श्री पी॰के॰ कुन्हालिकुट्टी | मलप्पुरम | केरल | शपथ | अंग्रेजी |

पूर्वाह्न 11.05 बजे

**3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसद सदस्य, 23 जुलाई, 2017 को अपराह्न 5.30 बजे माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को विदाई देंगे। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्ताक्षर-पुस्तिका सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति जी को भेंट की जाएगी।

हस्ताक्षर-पुस्तिका माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए केन्द्रीय कक्ष में रखी गई है। यह 17 से 20 जुलाई को 10बजे से अपराह्न 5 बजे तक प्रतिदिन संसद सदस्यों के हस्ताक्षरार्थ केन्द्रीय कक्ष में रखी रहेगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे ये हस्ताक्षर-पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते जाएं।''

पूर्वाह्न 11.06 बजे

**4. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री विनोद खन्ना; केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु राज्य मंत्री और राज्य सभा के वर्तमान सदस्य श्री अनिल माधव दवे; नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री सूबेदार प्रसाद सिंह, पांचवीं से आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री अजीत कुमार साहा; तीसरी से पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री ईरा सेजियान और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री नारायण सिंह चौधरी के दु:खद निधन के संबंध में उल्लेख किया।

उन्होंने 10 जुलाई, 2017 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बस पर हुए आतंकी हमले में 8 अमरनाथ तीर्थयात्रियों के मारे जाने तथा कई अन्यों के घायल होने के संबंध में भी उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

**5. प्रश्न**

चूंकि सभा निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न सं॰ 1-20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न सं॰ 1-230 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

( *लोक सभा मंगलवार,* 18 *जुलाई,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1108LS(S3)—17-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**मंगलवार, 18 जुलाई, 2017/27 आषाढ़, 1939 (शक)**

---

**संख्या 228**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित उल्लेख किए:—

(एक) 24 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवानों के शहीद हो जाने और 6 अन्य के घायल हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(दो) 22 मई, 2017 को यूनाइटेड किंगडम के मेनचेस्टर में एक आतंकवादी हमले में 22 व्यक्ति मारे गए और 59 अन्य घायल हुए। यूनाइटेड किंगडम के लंदन ब्रिज और बॉरो मार्केट में 3 जून, 2017 को हुए एक अन्य आतंकवादी हमले में 7 लोग मारे गए और 48 अन्य घायल हुए।

(तीन) 31 मई, 2017 को अफगानिस्तान के काबुल में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के निकट हुए बम विस्फोट में 150 से अधिक लोग मारे गए तथा 21 अप्रैल, 2017 को मज़ार-ए-शरीफ में अफगान नेशनल डिफेंस फोर्सेज की 209 कॉर्प पर हुए एक हमले में 140 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए।

(चार) 19 अप्रैल, 2017 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक बस के टोंस नदी में गिर जाने से 44 लोगों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(पांच) 23 मई, 2017 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बस के खाई में गिर जाने से 23 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है।

(छह) 16 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर के रामबान जिले में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 16 अमरनाथ तीर्थयात्रियों के मारे जाने और कई अन्य तीर्थयात्रियों के घायल होने की सूचना मिली है।

(सात) असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा सहित सहित पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण आई भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर संपत्ति को भारी नुकसान होने के साथ-साथ 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(आठ) श्रीलंका में 25 और 26 मई, 2017 को दक्षिण-पश्चिम मानसून से हुई लगातार वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 200 से अधिक लोग मारे गए तथा संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा जिसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए।

(नौ) बांग्लादेश में 12 और 13 जून, 2017 को हुए अनेक भूस्खलनों में 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

(दस) 7 जून, 2017 को हुई एक दु:खद हवाई दुर्घटना में म्यांमार सशस्त्र बलों के 122 कार्मिक तथा उनके परिवार के सदस्य मारे गए। पुर्तगाल के पेडरोगाओ ग्रांडे और गोईस की नगरपालिकाओं में भयंकर आग लग गई जिसमें 64 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

सदस्य, जिनके नाम के समक्ष तारांकित प्रश्न संख्या 21 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा।

*( सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत हुई)*

मध्याह्न 12.00 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 22—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**4. अध्यक्ष द्वारा बधाई**

5 जून, 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जीसैट-19 उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए देश का अब तक का सबसे भारी राकेट जीएसएलवी-एमके 3 (डी) सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किये जाने पर सभा की ओर से अध्यक्ष महोदया ने वैज्ञानिकों को बधाई दी।

उन्होंने भुवनेश्वर, ओडिशा में 6 से 9 जुलाई, 2017 तक आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2017 में 12 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 29 पदक जीतकर पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल करने पर भारतीय दल को भी बधाई दी।

अपराह्न 12.02 बजे

**5. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 4 मई, 2017 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 1)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 2)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 3)।

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 4)।

(2) आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1548(अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2013-2014 के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2013-2014 के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संघ सरकार के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा वर्ष 2015-2016 के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के बारे में 47वां वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद के पहले परिनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 632(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रानिकी परक्राम्य भाण्डागारण पावतियां) विनियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 726(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) की धारा 8 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 3/2017-प्रतिकर उपकर (दर) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 1/2017 प्रतिकर उपकर (दर) का संशोधन करना है ताकि 18.7.2017 से अधिसूचना में यथा उल्लिखित सिगरेट पर प्रतिकर उपकर दर बढ़ाई जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

**6. विधेयकों पर अनुमति**

(एक) महासचिव ने 17 मार्च, 2017 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 16वीं लोक सभा के 11वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 12 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) विनियोग विधेयक, 2017;

(2) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017;

(3) वित्त विधेयक, 2017;

(4) विनियोग (रेल) विधेयक, 2017;

(5) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017;

(6) कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2017;

(7) केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017;

(8) एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017;

(9) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017;

(10) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017;

(11) मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017; और

(12) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017;

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

(1) मजदूरी का संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017;

(2) प्रसव प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2017;

(3) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2017; और

(4) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 ।

**7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

*(1) 'सीमा शुल्क पत्तनों के जरिए आयात और निर्यात व्यापार सरलीकरण का निष्पादन' विषय पर 75वां प्रतिवेदन।

*(2) 'इंदिरा आवास योजना' के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

*(3) 'केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर में अभियोजन और शास्तियों का लगाया जाना' के बारे में समिति के 63वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

*(4) 'दबाव वाली आस्तियों के स्थिरीकरण संबंधी निधि (एसएएसएफ)' विषय पर 78वां प्रतिवेदन।

(5) 'आदर्श को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मुंबई' के बारे में समिति के 91वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

**8. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री मोहम्मह फैजल पी॰पी॰ ने संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप के प्रशासन और विकास के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 204वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

*ये प्रतिवेदन, निदेश 71क के अंतर्गत 29 अप्रैल, 2017 और 6 जून, 2017 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथाकार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। इस मामले को 1 मई, 2017 और 12 जून, 2017 के लोक सभा समाचार भाग 2 में विधिवत अधिसूचित किया गया।

**9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016' के बारे में 249वां प्रतिवेदन।

(2) 'महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016' के बारे में 250वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

**10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*(एक) स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017*

*(दो) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017*

*(तीन) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017*

अपराह्न 12.07 बजे

**11. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना के बारे में।

(2) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार में सीवान रेलवे स्टेशन के निकट चाप ढाला रेल समपार पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के चालीसगांव में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड इकाई को पुन: आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित पाण्डुरणा–वरुड–हाथुरना सड़क की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री लल्लू सिंह द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि किए जाने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में शीतागार स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अभिषेक सिंह द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कोलकाता से झारखंड स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा धनबाद-चन्द्रपुरा रेल लाइन बंद किए जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा हिमालयी राज्यों में जैविक खेती, फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती पर आधारित उद्यमिता, प्रशिक्षण और विकास तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राहुल कास्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को राजसहायता (सब्सिडी) प्राप्त दरों पर कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम मंडल के अंतर्गत सास्थामोट्टा रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजीव सातव द्वारा किसानों की ऋण माफी के लिए महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा किसानों को उर्वरक सब्सिडी सीधे संवितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री वी॰ एलुमलाई द्वारा जीएसटी के अंतर्गत विवरणियां दाखिल किए जाने को सरल बनाए जाने तथा छूट की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में महानदी के जल के बहाव को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा एटीएम से धनराशि निकालने पर लगाए गए शुल्क को हटाने और बैंक खातों में न्यूनतम राशि रखे जाने की आवश्यकता के प्रावधान को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 108 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा तेलंगाना में हुजुराबाद के रास्ते काजिपेट और करीमनगर तक नई रेल लाइन बिछाए जाने हेतु रेल सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के उपयोग हेतु सहायक उपकरणों तथा साधनों पर जीएसटी के तहत लगाए गए कर में कमी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर द्वारा केरल में रबड़ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब के नंगल में राष्ट्रीय उर्वरक संयंत्र की क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) द्वारा डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर और सुभाषचन्द्र बोस को 'राष्ट्रपिता' की उपाधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले में नागपंचमी उत्सव मनाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.08 बजे

*(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 19 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1154LS(S3)—18-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**बुधवार, 19 जुलाई, 2017/28 आषाढ़, 1939 (शक)**

---

**संख्या 229**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित उल्लेख किया:—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि रूसी संघ की संसद के निमंत्रण पर मैंने 10 से 14 जुलाई, 2017 तक रूसी संघ के दौरे पर गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

दौरे के समय शिष्टमंडल ने रशियन फेडरेशन नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चाएं कीं। इसी दौरान इंडियन-रशियन फेडरेशन इंटरपार्लियामेन्टरी कमीशन के साथ भी एक बैठक हुई।

समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मित्रता के प्रति अथाह सम्मान स्वरूप रशियन फेडरेशन पार्लियामेन्ट ने मुझे 12 जुलाई, 2017 को अपनी स्टेट डयूमा को संबोधित करने का विशिष्ट सम्मान प्रदान किया।

मुझे आशा है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के इस 70वें वर्ष के दौरान भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के रशियन फेडरेशन के इस दौरे से दो महान देशों के बीच पराम्परागत मैत्री संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी।''

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*( सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.07 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 42—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (एक) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 305-27/2010-क्यूओएस जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 22 नवंबर, 2016 की अधिसूचना सं॰ 305-27/2010-क्यूओएस का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 314(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 406(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 439(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय तार (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 482(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 2017 जो 24 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 540(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2015 जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 75(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 10 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2164(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 जो 20 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 263(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(क) की उपधारा (2) के अंतर्गत उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में कतिपय संशोधन करने वाली प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 10(1)/2017-लेग-तीन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 44वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

**6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) के 'रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुत्थान' विषय पर 35वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**8. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण**

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

---

* रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 35वें प्रतिवेदन को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 19.05.2017 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने 19.05.2017 को 'लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' के नियम 280 के अंतर्गत सभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने/रखे जाने के पूर्व उसके मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी।

(2015-2016) के सत्रहवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति (2015-2016) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-अंतिम कार्रवाई-संबंधी उत्तर।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगें 2016-17 के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2015-2016) के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति (2015-2016) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-अंतिम कार्रवाई-संबंधी उत्तर।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों' (2016-17) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2015-2016) के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति (2016-17) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-अंतिम कार्रवाई-संबंधी उत्तर।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'स्वायत्तशासी संस्थाओं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलाजी (सीआईपीईटी) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फार्मुलेशन एंड टेक्नोलाजी (आईपीएफटी) के कार्यकरण विषय पर 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-अंतिम कार्रवाई-संबंधी उत्तर।

**9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री गोकाराजू गंगा राजू ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान' के बारे में 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' के बारे में 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(3) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास संघटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई), तत्कालीन आईडब्ल्यूएमपी, भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

**10. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री गोकाराजू गंगा राजू ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

1. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संबंध में 'अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई-संबंधी 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के संबंध में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एमजीएनआरईजीए)' विषय पर 42वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई-संबंधी 14वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के संबंध में 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' के बारे में छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई-संबंधी 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) के संबंध में 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई-संबंधी 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

5. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संबंध में 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई-संबंधी 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

6. पंचायती राज मंत्रालय के संबंध में 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई-संबंधी 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.02 बजे

**11. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

#अपराह्न 12.03 बजे

**12. सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशभर के कृषकों में बड़े पैमाने पर व्याप्त निराशा, जिसके परिणामस्वरूप कृषकों द्वारा आत्महत्या की जा रही है और सरकार इस मुद्दे का समाधान करने में असफल रही है, के संबंध में निवेदन किया।

$श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.30 बजे

(दो) श्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गणेश शुगर मिल्स, आनंद नगर की रिक्त भूमि पर टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में निवेदन किया।

सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र, शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल सहयोजित हुए।

---

#अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
$रसायन और उर्वरक मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्री।

%श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.36 बजे

(तीन) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने प्राईवेट अस्पतालों में नर्सों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का समाधान कराने की आवश्यकता के संबंध में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

&श्री जे॰पी॰ नड्डा ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.49 बजे

(चार) श्री भर्तृहरि महताब ने देश में दो विभिन्न टाईम जोन की व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम के संबंध में निवेदन किया।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

*(लोक सभा अपराह्न* 1.01 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.01 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.01 बजे

**13. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा देश में पुलिस बल का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा सिन्थेटिक कपड़े पर लगाई गई जीएसटी दर की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

%वस्त्र मंत्री; और सूचना और प्रसारण मंत्री।

&स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री।

4. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में एक ट्रॉमा सेंटर/सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

5. श्री रावसाहेब पाटील दानवे द्वारा महाराष्ट्र के जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

6. डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की दो खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री श्यामाचरण गुप्त द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थिति केन्द्रीय आयुध निर्माणी डिपो, छिवकी को बंद करने की योजना को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा और चित्रकुट जिलों में रेलवे पुलों के नीचे होने वाले जल-भराव को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में सुअरा नदी पर बांध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. श्री ओम बिरला द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा समदडी-भीलडी रेल मार्ग पर पर्याप्त रेल सेवाएं प्रदान किए जाने तथा बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन सं॰ 12489/12490 के फेरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा, लातेहार एवं पलामू जिलों में भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री रोड़मल नागर द्वारा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों को जोड़ते हुए राजगढ़-नरसिंहगढ़ पर्यटन सर्किट विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री विंसेट एच॰ पाला द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2017 की समीक्षा और उसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 को चार लेन में परिवर्तित किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

18. श्री जी॰ हरि द्वारा पलार और कोसस्थालैयर नदियों पर चेक डैम का निर्माण कार्य बन्द करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को राजी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्रीमती वी॰ सत्यबामा द्वारा तमिलनाडु के इरोड जिला स्थित पेरुन्दुरई में एक एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कार्यालयों को प्रौद्योगिकीय सहायता और ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा भारत में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या लोगों की पहचान कर उन्हें वापस उनके देश भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नन्दमुरी तारक रामाराव को भारत रत्न प्रदान किए जाने के बारे में।

23. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा तेलंगाना के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल में मानव-वन्यजीव के बीच संघर्ष को रोके जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

**14. सरकारी विधेयक—पारित**

*भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) विधेयक, 2017*

लिया गया समय: 2 घंटा 38 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

2. डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक'
3. श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. डॉ॰ कुलमणि सामल
6. श्री अरविन्द सावंत
7. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
8. श्री पी॰के॰ बिजू
9. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पांडुला
10. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
11. श्रीमती रेणुका बुत्ता
12. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी
13. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
14. श्री धनंजय महाडीक
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्री कौशलेन्द्र कुमार
17. श्री प्रेम दास राई
18. श्री जोस के॰ मणि
19. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
20. श्री अधीर रंजन चौधरी
21. प्रो॰ चिंतामणि मालवीय
22. श्री भगवंत मान
23. श्री राजेश रंजन *उर्फ़* पप्पू यादव
24. श्री शेर सिंह गुबाया
25. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 48 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.39 बजे

**15.नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 5 घंटे 40 मिनट

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति के बारे में एक चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वीरेन्द्र सिंह
2. श्री कल्याण बनर्जी
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
5. श्रीमती वी॰ सत्यबामा
6. श्री प्रतापराव जाधव
7. श्री थोटा नरसिम्हम
8. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
9. श्री जितेन्द्र चौधरी
10. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
11. श्री तारिक अनवर

12. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण
13. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया
14. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
15. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
16. श्री भगवंत मान
17. डॉ॰ अरुण कुमार
18. श्री बद्रुद्दीन अजमल
19. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
20. श्री दुष्यंत चौटाला
21. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी
22. श्री सी॰ एन॰ जयदेवन
23. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज
24. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
25. श्री सुधीर गुप्ता
26. श्री राम कुमार शर्मा
27. श्री दीपेन्द्र हुड्डा

श्री राधा मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

रात्रि 10.19 बजे

*(लोक सभा गुरुवार,* 20 *जुलाई,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1235LS(S3)—19-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**गुरुवार, 20 जुलाई, 2017/29 आषाढ़, 1939 (शक)**

---

**संख्या 230**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 61 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.12 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.30 *बजे पुनः समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 62 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.43 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई)*

तारांकित प्रश्न संख्या 63—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 411(अ) जो 27 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले के पोट्टंगी तालुक में बाक्साइट निक्षेपों के संबंध में खोज या खनन संक्रियाओं के लिए केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स नाल्को के माध्यम से 1738.04 हेक्टेयर क्षेत्र को 27.4.2017 से 5 वर्ष की और अवधि के लिए आरक्षित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2017 जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सभी संबंधितों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया गया है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 के विनियम 6.3ख तथा रिजर्व शटडाउन संबंधी विस्तृत प्रचालनात्मक प्रक्रिया तथा प्रतिकर हेतु तंत्र 15.5.2017 से प्रवृत्त होंगे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017 जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 1/21/2017-रेग॰एफ॰/आरई-टैरिफ-2017-20)/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का संदाय) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एल-1/01/2017-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 544(अ) जो 2 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मारमुगाओ पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंशदायी चिकित्सा लाभ) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 545(अ) जो 2 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 506(अ) जो 24 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 568(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मारमुगाओ पत्तन कर्मचारी (पेंशन और उपदान) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 304(अ) जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 305(अ) जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 306(अ) जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन किया गया है।

(5) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**4. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्रीमती संतोष अहलावत ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन तथा खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति (भाग-एक)' के बारे में 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 291वां प्रतिवेदन।

(2) 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन तथा खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति (भाग-दो)' के बारे में 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 292वां प्रतिवेदन।

(3) 'राष्ट्रीय खेल विकास निधि का निष्पादन तथा खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति (भाग-तीन)' के बारे में 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 293वां प्रतिवेदन।

**5. प्रस्ताव**

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 19 जुलाई, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

**6. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा संथाल परगना के मूल वासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के बारे में।

(2) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिकरहना, मधुबनी और भेलवा गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बीएसएनएल द्वारा काम पर रखे गए संविदा श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गणपति घाट के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर मोटर चलने योग्य एक ढलान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा प्रस्तावित यमुना नगर–चंडीगढ़ रेल लाईन परियोजना पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा सभी कृषि उपजों के लिए मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बक्सर से पटना तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 को चार लेन में परिवर्तित किए जाने और गंगा नदी पर चार लेन वाला पुल बनाए जाने और मोहनिया तथा आरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के सुपौल और मधुबनी जिलों में कोसी नदी पर बने बांध का विस्तार इसके बहाव क्षेत्र के साथ–साथ बसे सभी क्षेत्रों तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा केरल स्थित तिरुवनन्तपुरम स्थित विमानपत्तन से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क में की गई वृद्धि वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा विमानों में इकॉनोमी क्लास के यात्रियों को मांसाहारी भोजन परोसना बन्द किए जाने के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के चेन्नै स्थित कामराजर पत्तन लिमिटेड का विनिवेश किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री ए॰ अरुणमणिदेवन द्वारा तमिलनाडु के नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु के संविदा कर्मचारियों की शिकायतों को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) प्रो॰ रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा देश में कृषकों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा ईएसआईसी द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने वाले बीमित व्यक्तियों पर कठोर शर्त लगाने वाले आदेश को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 21 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1251LS(S3)—20-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**शुक्रवार, 21 जुलाई, 2017/30 आषाढ़, 1939 (शक)**

---

**संख्या 231**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 84-85 के मौखिक उत्तर दिए गए।

प्रश्न सं॰ 82, 83 और 86, जिन सदस्यों के नाम सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित थे। यद्यपि, संबंधित मंत्री ने उत्तर को सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा प्रश्न सं॰ 82, 83 और 86 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 87—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) देना बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) यूको बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) केनरा बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) कार्पोरेशन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(बारह) इंडियन बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तेरह) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चौदह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पंद्रह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सोलह) विजया बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सत्रह) आंध्रा बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(अठारह) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(उन्नीस) पंजाब और सिंध बैंक के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष, 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के

वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) 31.3.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेंस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 31.3.2017 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेंस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 807(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उर्वरकों पर केन्द्रीय कर की दर को छह प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 673(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9(1) के अंतर्गत अधिसूचित सीजीएसटी दर अनुसूची को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 674(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचित सीजीएसटी से छूट प्राप्त माल अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 675(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचित खोज और उत्पादन के लिए प्रदाय हेतु 2.5 प्रतिशत के रियायती सीजीएसटी दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 676(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 9(3) के अंतर्गत माल के कतिपय विनिर्दिष्ट प्रदाय पर प्रत्यावर्ती प्रभार अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 677(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उस माल के प्रदाय को अधिसूचित किया गया है जिसके संबंध में धारा 54(3) के अंतर्गत अप्रयुक्त आदान कर क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 678(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 55 के अंतर्गत सीएसडी को प्रदाय पर सीजीएसटी का 50 प्रतिशत रिफन्ड अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 679(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 11(1) और धारा 55 सीएसडी के अंतर्गत यूनिट रन कैन्टीन्स को सीएसडी द्वारा सीजीएसटी प्रदाय से तथा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को सीएसडी/यूनिट रन कैंटीन द्वारा प्रदाय से छूट प्रदान की गई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 680(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 11(1) के अंतर्गत प्रतिदिन 5000 रु॰ तक प्रत्यावर्ती प्रभार से सीजीएसटी छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 681(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा एक टीडीएस डिडक्टर को प्रदाय में छूट प्रदान की गई है जो धारा 11(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत नहीं है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 682(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 11(1) के अंतर्गत अधिसूचित मार्जिन स्कीम के अंतर्गत कार्य करने वाले डीलरों के लिए सीजीएसटी छूट अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 710(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 7(1) के अंतर्गत अधिसूचित यूटीजीएसटी दर अनुसूची को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 711(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 8(1) के अंतर्गत अधिसूचित यूटीजीएसटी से छूट प्राप्त माल अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 712(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 8(1) के अंतर्गत अधिसूचित खोज और उत्पादन के लिए प्रदाय हेतु 2.5 प्रतिशत रियायती यूटीजीएसटी दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 713(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 7(3) के अंतर्गत कतिपय विनिर्दिष्ट माल के प्रदाय पर प्रत्यावर्ती प्रभार अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 714(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उस माल के प्रदाय को अधिसूचित किया गया है जिसके संबंध में केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54(3) के अंतर्गत अप्रयुक्त आदान कर क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 715(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत सीएसडी को प्रदाय पर यूटीजीएसटी का 50 प्रतिशत रिफन्ड अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 716(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8(1) और धारा 55 के अंतर्गत यूनिट रन कैंटीन्स को सीएसडी द्वारा

यूटीजीएसटी प्रदाय से तथा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को सीएसडी/यूनिट रन कैंटीन द्वारा प्रदाय से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 717(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 8(1) के अंतर्गत 5000/– रु॰ प्रतिदिन तक प्रत्यावर्ती प्रभार से यूटीजीएसटी छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 718(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा एक टीडीएस डिडक्टर को प्रदाय में छूट प्रदान की गई है जो धारा 8(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत नहीं है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 719(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 8(1) के अतर्गत अधिसूचित मार्जिन स्कीम के अंतर्गत कार्य करने वाले डीलरों के लिए यूटीजीएसटी छूट अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 808(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उर्वरकों पर संघ राज्यक्षेत्र कर की दर को छह प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 666(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) अधिसूचित किया गया है, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा एकीकृत कर की दर अधिसूचित करती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 667(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) अधिसूचित किया गया है, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा एकीकृत कर की दर अधिसूचित करती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 668(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) अधिसूचित किया गया है, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा एकीकृत कर की दर अधिसूचित करती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 669(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 5(3) के अंतर्गत कतिपय विनिर्दिष्ट माल के प्रदाय पर प्रत्यावर्ती प्रभार अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 670(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के प्रदाय को अधिसूचित किया गया है जिसके संबंध में अप्रयुक्त आदान कर जमा के रिफन्ड की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 671(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 20 के अंतर्गत सीएसडी को प्रदाय पर आईजीएसटी का 50 प्रतिशत रिफन्ड अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 672(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धारा 6(1) के अंतर्गत यूनिट रन कैंटीन्स को सीएसडी द्वारा आईजीएसटी प्रदाय से तथा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को सीएसडी/यूनिट रन कैंटीन द्वारा प्रदाय से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 809(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उर्वरकों पर एकीकृत कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2016, जो 6 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3160(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 318(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (6वां संशोधन) नियम, 2017, जो 3 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 325(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (7वां संशोधन) नियम, 2017, जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 331(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2017, जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 331(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2017, जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1381(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 1513(अ), जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि धारा 139क के उपबंध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसके पास आधार सं॰ या नामांकन पहचान सं॰ नहीं है तथा एक व्याख्यात्पक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2017, जो 2 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 546(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2017, जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 554(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 1789(अ), जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा उन अंतरणों को अधिसूचित किया गया था जिन पर अधिग्रहण पर प्रतिभूति संव्यवहार कर पर प्रभार्यता की शर्त लागू नहीं होगी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1790(अ), जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के खंड (5) के अधीन लागत स्फीति सूचकांक विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 1818(अ), जो 8 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 उइ के अंतर्गत पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा जारी बॉण्ड अधिसूचित किए गए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2017 जेा 8 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 561(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके साथ 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 631(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र दिया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2017, जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 569(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2017, जो 15 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 590(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 815(अ) जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) 16 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं॰ 22/2017-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 1015(अ) जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं॰ 32/2017-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) 6 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं॰ 33/2017-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 1177(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) 20 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं॰ 40/2017-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 1357(अ) जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना सं॰ 43/2017-सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 1562(अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) 18 मई, 2017 अधिसूचना सं॰ 49/2017–सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 1743(अ) जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) 1 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 52/2017–सी॰शु॰(एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) 15 जून, 2017 की अधिसूचना सं॰ 53/2017–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1918(अ) जो 15 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 2051(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 2064(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 62/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं॰ 70/2017-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 320(अ) जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 356(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 394(अ) जो 30 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा संबंधित भेषज कंपनियों के विनिर्दिष्ट रोगी सहायता कार्यक्रमों के अधीन आयातित औषधियों और दवाओं की आपूर्ति के लिए मूलभूत सीमा शुल्क में उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 400(अ) जो 21 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर, जब इन्हें सेना, नौसेना, वायु सेना या केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की किसी इकाई द्वारा आयात किया जा रहा हो या देश से बाहर सेवा देने के पश्चात् अपने साथ देश में लाया जा रहा हो तो उसमें इस पर लगने वाले उक्त टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपूर्ण सीमा शुल्क से अथवा उक्त सीमा शुल्क

टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का॰आ॰ 450(अ) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का॰आ॰ 473(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 101/2007-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का॰आ॰ 474(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का॰आ॰ 579(अ) जो 12 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 628(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 330(अ) जो 3 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 01-2017-सी॰शु॰ (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 343(अ) जो 11 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा

संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में ईरान, कतर तथा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''लिनियर अल्काइन बेंजीन'' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 344(अ) जो 11 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पोलीओल'' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 432(अ) जो 3 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराजय थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''विस्कोस फिलामेंट'' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की और अवधि अर्थात 3.5.2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 433(अ) जो 3 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के दिनांक 24.3.2017 के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न'' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 449(अ) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''आंशिक रूप से ओरेंटेड यार्न'' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को डीए की अनुशंसा पर एक वर्ष की और अवधि अर्थात् 1.5.2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 455(अ) जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक के निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य रूस, ब्राजील या इंडोनेशिया से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''मिश्रधातु या गैरमिश्रधातु इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद'' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, इसके अनंतिम रूप से लगाए जाने की तारीख अर्थात् 8 अगस्त, 2016 से, पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 461(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक के निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य या यूक्रेन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''मिश्रधातु या गैरमिश्रधातु इस्पात के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद'' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, इसके अनंतिम रूप से लगाए जाने की तारीख अर्थात् 17 अगस्त, 2016 से, पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 462(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''क्लियर फ्लोट ग्लास'' जिसकी मोटाई 4 मि॰मी॰ से 12 मिमी॰ हो, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020 के अंतर्गत आते हैं के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 463(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''एल्युमिनियम रेडिएटर्स, एल्युमिनियम रेडिएटर सब असेंबलीज और एल्युमिनियम रेडिएटर कोर जिसमें सीकेडी या एसकेडी कंडीशंस भी शामिल है'', जिनका प्रयुक्त/सड़क पर अब भी चल रहे वाहनों और जेनेटर सेटों में प्रयोग किया जाना है, जिसमें नए आटोमोबाइल्स में प्रयोग किया जाने वाले एल्युमिनिएम रेडिएटर शामिल नहीं है जो सीमा शुल्क टैरिफ

अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 8708, 9100 के अंतर्गत आते हैं, आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 476(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के दिनांक 3.4.2017 के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''एमौक्सीसीलीन'' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 477(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या 23/2016-सी॰शु॰ (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 478(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक के निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''विनिर्दिष्ट प्रकार के एल्युमिनियम फोइल'' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 549(अ) जो 2 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट'' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को एक वर्ष की अवधि अर्थात् 3.6.2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 555(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''ट्योल्यून डाई आइसोसाइनेट'' के आयात पर 6 माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 560(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमीरेट्स से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड'' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को इसके अनंतिम रूप से लगाए जाने की तारीख अर्थात् 7 जून, 2012 से, 1 वर्ष की अवधि जिसमें 6 जून, 2018 भी शामिल है तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 576(अ) जो 12 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गण्राज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''सेरेमिक टेबल वेयर और किचन वेयर'' जिसमें चाकू और टायलेट मदें नहीं हैं, के आयात पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अनधिक अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 587(अ) जो 14 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया गणराज्य, पाकिस्तान और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''हाइड्रोजन पेराक्साइड'' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 588(अ) जो 14 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''सोल्यूबल साल्ट डबल चार्ज, जीवीटी और पीजीवीटी, पार्सेलेन/विट्रीफाइड टाइल्स'' जिनकी जल शोषण क्षमता 3 प्रतिशत से कम हो और जो सभी आकार के हों, के आयात पर इसके अनंतिम रूप से लगाए जाने की तारीख अर्थात् 29 मार्च, 2013 से, 5 वर्ष की अवधि तक अंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 623(अ) जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदाभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''सिलाई मशीन की सुई'' के आयात पर विनिर्दिष्ट दर से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क, इसके लगाए जाने की

तारीख अर्थात् 22 जून, 2017 से 5 वर्ष की अवधि तक अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 731(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के दिनांक 12.5.2017 के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''पेंटाइरीथ्रीटोल'' के आयात पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा॰का॰नि॰ 801(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यू॰एस॰ए॰ से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''सोडा ऐश'' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 2 जुलाई, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत गणराज्य और चिली गणराज्य के बीच अधिमानी व्यापार करार के अंतर्गत माल के उद्गम का अवधारण (संशोधन) नियम, 2017 जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 479(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कराधान बिन्दु (संशोधन) नियम, 2017 जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 370(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 434(अ) जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं॰ 25/2012/सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 372(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 475(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012/के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेनवैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 12 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 577(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 393(अ) जो 20 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं॰ 8/2011–सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत–मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियम, 2017 जो 21 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों, जुलाई, 2017 के अनुसरण में की–गई–कार्रवाई संबंधी 28वें प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उप–धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंक नोट (जब्त नोटों का निक्षेप) नियम, 2017 जो 12 मई, 2017 के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 460 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 11) (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)—2014-15 तक निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व की भागीदारी।

(दो) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2017 का संख्यांक 25)—भेषज क्षेत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य का निष्पादन लेखापरीक्षा।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2017 का संख्यांक 7)—कृषि फसल बीमा योजना, कृषि मंत्रालय और कृषक कल्याण मंत्रालय का निष्पादन लेखापरीक्षा।

(चार) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2017 का संख्यांक 12)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(पांच) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2017 का संख्यांक 15)—सेना, आयुध निर्माणियां।

(छह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2017 का संख्यांक 20)—नौसेना, और तटरक्षक।

(सात) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 16)—आईएफसीआई लिमिटेड, वित्त मंत्रालय में ऋण जोखिम प्रबंधन का निष्पादन लेखापरीक्षा।

(आठ) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2017 का संख्यांक 14)।

(नौ) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 19)—रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम, रक्षा मंत्रालय।

(दस) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 21)—संचार मंत्रालय तथा इलैक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

(ग्यारह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 17)—(अनुपालन लेखा परीक्षा) वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग।

(बारह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 23) बालक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन—मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(तेरह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 10) बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वानुमान की योजनाएं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का निष्पादन लेखापरीक्षा।

(चौदह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2017 का संख्यांक 13)—भारतीय रेल में खान-पान सेवाएं।

(पंद्रह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2017 का संख्यांक 22)—भारतीय रेल में विद्युतीकरण परियोजनाएं।

(19) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 01/02/2014-सीएल॰वी॰ जिसके द्वारा 5 जून, 2105 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 463(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा यह निदेश दिया गया है कि क्रम सं॰ 8 और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग संबंधी संगत लेखांकन मानक के लागू होने की सीमा तक रक्षा उत्पादन में लगी हुई कंपनियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय 9, धारा 129 लागू नहीं होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

**श्री रमेश बैस ने** विपरीतलिंगी व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016 के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 43वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.02 बजे

**5. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 24 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

**6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक,* 2017

*अपराह्न 12.12 बजे

**7. सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने देश भर में व्याप्त कृषि क्षेत्र की दुर्दशा जिसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं, का निवारण करने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

#श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.16 बजे

(एक) श्री मोहम्मद सलीम ने व्याप्त आक्रोश के कारण दार्जिलिंग के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में निवेदन किया।

श्री पी॰के॰ बिजू, श्री शंकरप्रसाद दत्ता, डॉ॰ ए॰ सम्पत, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज और श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

#श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

*(लोक सभा अपराह्न* 1.09 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.11 *बजे पुन: समवेत हुई)*

---

* अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 1.09 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
# संसदीय कार्य मंत्री।

अपराह्न 2.11 बजे

**8. सरकारी विधेयक—पारित**

*नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक,* 2017

लिया गया समय — 2 घंटे 16 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री अरविंद सावंत
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री जैदेव गल्ला
6. श्री बलका सुमन
7. डॉ॰ ए॰ सम्पत
8. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार,
11. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
12. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
13. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
14. श्री गौरव गोगाई
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्री भगवंत मान

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.28 बजे

**9. प्रस्ताव**

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 19 जुलाई, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.29 बजे

**10. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित**

1. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक का जनसंख्या (स्थिरीकरण) विधेयक, 2017

2. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक का एसिड हमले, लैंगिक उत्पीड़न और दुर्व्यापार की शिकार बालिकाएं तथा महिलाएं (प्रतिकर और पुनर्वास) विधेयक, 2017

3. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक का तंग करने वाला मुकद्मा (निवारण) विधेयक, 2017

4. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक का धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण का प्रतिषेध विधेयक, 2017

5. डॉ॰ सत्यपाल सिंह का शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2017

6. डॉ॰ उदित राज का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उप-योजना (बजटीय आवंटन और विशेष योजनाएं) विधेयक, 2017

7. श्री पी॰ करुणाकरन का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 124क का लोप)

8. श्री पी॰ करुणाकरन का कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 5 का संशोधन)

9. श्री पी॰ करुणाकरन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 51क का संशोधन)।

10. श्री पी॰ करुणाकरन का दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 63क का अंत:स्थापन)

11. श्री महेश गिरी का गर्भाशय कैंसर (जागरूकता और अनिवार्य टीकाकरण) विधेयक, 2016

12. डॉ॰ उदित राज का हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 31 का संशोधन)

13. श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (7वीं अनुसूची का संशोधन)

14. श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 12 का संशोधन)

15. श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)

16. श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (7वीं अनुसूची का संशोधन)

17. श्री महेश गिरि का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 27 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

18. श्री महेश गिरि का निजी होस्टल और पेइंग गेस्ट आवास केन्द्र विनियमन विधेयक, 2017

19. श्री महेश गिरि का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 326क का संशोधन)

20. श्री निशिकांत दुबे का व्यथित विधवाएं एवं एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2017

21. श्री निशिकांत दुबे का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 19 का लोप)

22. श्री निशिकांत दुबे का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 14 का संशोधन)

23. श्री राजीव सातव का बम्बई उच्च न्यायालय (हिगोली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना)। विधेयक, 2017

24. श्री राजीव सातव का पितृत्व प्रसुविधा विधेयक, 2017

25. श्री शंकर प्रसाद दत्ता का घरेलू कर्मकार (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2017

26. श्री बैजयंत पांडा का डाटा (एकांतता और संरक्षण) विधेयक, 2017

27. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर का मछुआरा (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2017

28. श्री बलका सुमन का आधार (वित्तीय और अन्य सहाकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) संशोधन विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन आदि)

***11. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया**

श्री एम॰ मुरली मोहन का आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2015

अपराह्न 4.46 बजे

**12. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन**

*संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक,* 2015

श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा 5 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निनोंगा इरिंग (अपना भाषण पुन:आरंभ किया)
2. श्री शरद त्रिपाठी
3. श्री थांगसो बाइटे
4. श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह

---

*अपराह्न 4.32 बजे।

5. श्री हरिनरायन राजभर (भाषण अपूर्ण रहा)

सायं 6.00 बजे

*(लोक सभा सोमवार, 24 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1287LS(S3)—21-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**सोमवार, 24 जुलाई, 2017/2 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 232**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने 20 जुलाई, 2017 को हिमाचल प्रदेश में रामपुर के निकट खनेरी में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने के कारण 28 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 22 जुलाई, 2017 को उदयपुर, राजस्थान के निकट तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस के पलट जाने के कारण कथित तौर पर 6 महिलाओं सहित 9 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य व्यक्तियों के घायल के बारे में भी उल्लेख किया।

इसके अलावा, उन्होंने गुजरात के कई भागों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कथित तौर पर जान-माल की भारी क्षति के परिणामस्वरूप संपत्ति, फसल और मवेशियों की बड़े पैमाने पर हुई हानि के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 101, 103—105 और 107 के मौखिक उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 102 और 106, जिन सदस्यों के नाम सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर को सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 102 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 106 के संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 106 और 108—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(4) एम्पलॉईज़ प्रोविडेंट फंड ऑरगेनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 2017, जो 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 351(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 2017, जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 404(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 2017, जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 436(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) स्कीम, 2017, जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 437(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) कर्मचारी निक्षेप-सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2017, जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 438(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) सा॰का॰नि॰ 604(अ) जो 16 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 158(अ) को निरस्त करना है।

(7) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1955 (अ) जो 20 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1358(अ), जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो

पीडीएस केरोसिन स्कीम में प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आधार को आज्ञापक बनाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बालमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2017, जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 427(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 797(अ), जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 8क के उपबंधों के अंतर्गत सांविधिक दर का संशोधन करके उसमें उल्लिखित माल पर मूलभूत सीमा-शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 798(अ), जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (क) सेल्यूलर मोबाइल फोनों के विनिर्दिष्ट भागों पर मूलभूत सीमा-शुल्क को बढ़ाकर शून्य से 10 प्रतिशत करना (एक) एसबीआर, ईपीडीएम, सीआर, सीएस, सिलिकॉन जैसे रबर से सीलिंग गैसकेट्स/केसेस सहित माइक्रोफोन रबर केस और सेंसर रबर केस/सीलिंग गैसकेट तथा टैरिफ मद 4016 99 90 के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी एकल रबर या संयोजन/रबर का संयोजन; (दो) टैरिफ मद 7318 15 00 के अंतर्गत आने वाले स्क्रू; (तीन) सेल्यूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिए टैरिफ मद 7326 90 99 के अंतर्गत आने वाले एसआईएम सॉकेट/मैटल की अन्य मैकेनिकल मदें; (ख) सेल्यूलर मोबाइल फोन के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिए विनिर्दिष्ट भागों, कैमरा मॉडयूल, कनेक्टर्स, डिस्पले असेम्बली, टच पैनल/कवर ग्लास असेंबली, वाईब्रेटर मोटर/रिंगर, उनके इनपुट या उपभागों पर बीसीडी से छूट जारी रखना; (ग) सेल्यूलर नेटवर्क्स से भिन्न, अन्य बे-तार नेटवर्कों के लिए टेलिफोन पर बीसीडी से छूट जारी रखना; (घ) इलेक्ट्रॉनिक माल (सेल्यूलर मोबाइल फोन्स से भिन्न) के भाग (8517 70 90) और इन भागों के निर्माण के लिए इनपुट या उप-भागों पर बीसीडी से छूट जारी रखना; (ङ) सेल्यूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त सेल्यूलर मोबाइल

फोनों के भागों के लिए इनपुट या कच्चे माल पर 'शून्य' बीसीडी जारी रखना; और (च) टैरिफ मदों 8443 32 90, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53, 8517 61 00, 8517 62 90 और 8517 69 90 के अंतर्गत आने वाले इलैक्ट्रोनिक माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुटों या कच्चे माल पर 'शून्य' बीसीडी प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 799(अ), जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं॰ 24/2005-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(19) (एक) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(22) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी मंडी, मंडी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी मंडी, मंडी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 34-एआईसीटीई/एआर/एंटी रैगिंग/2016, जो 22 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों में रैगिंग का निवारण और प्रतिषेध विनियम, 2009 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के कुल समादत्त इक्विटी शेयर धारण में भारत सरकार के विद्यमान 51.11 प्रतिशत की तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन

लिमिटेड (ओएनजीसी) को रणनीतिक बिक्री और उसके साथ प्रबंध नियंत्रण के अंतरण के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.06 बजे

**6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017*

श्री अरुण जेटली द्वारा बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित किए जाने की अनुमति के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध हुआ।

प्रो॰ सौगत राय ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। वित्त मंत्री, कार्पोरेट कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

**7. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया**

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 1) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.08 बजे

**8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017*

*अपराह्न 12.09 बजे

**9. सदस्यों द्वारा निवेदन**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रो॰ सौगत राय ने गौ-रक्षा दलों द्वारा देश भर में किए जा रहे कथित हमलों के बारे में निवेदन किए।

---

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.47 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.47 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.01 *बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराह्न 2.01 बजे

**#10. नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलम्बन**

अध्यक्ष ने नियम 374क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों का नाम लिया और वे सभा की लगातार पांच बैठकों अर्थात् 24, 25, 26, 27 और 28 जुलाई, 2017 के लिए सभा की सेवा से स्वतः निलम्बित हो गए:—

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
3. श्री अधीर रंजन चौधरी
4. श्री एम॰के॰ राघवन
5. श्रीमती रंजीत रंजन
6. कुमारी सुष्मिता देव

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 2.06 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.30 *बने पुनः समवेत हुई)*

अपराह्न 2.31 बजे

*(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार,* 25 *जुलाई,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

---

#अधिक जानकारी के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

GMGIPMRND—1361LS(S3)—24-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**मंगलवार, 25 जुलाई, 2017/3 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 233**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 121 का मौखिक उत्तर दिया। तारांकित प्रश्न संख्या 122—126 और 128—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। नियम 374क के अधीन सदस्यों का सभा से निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 127 का लोप किया गया।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1469, 1471—1591 और 1593—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। नियम 374क के अधीन सदस्यों का सभा से निलंबन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 1470 और 1592 का लोप किया गया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

**3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, नव-निर्वाचित राष्ट्रपति, महामहिम श्री राम नाथ कोविंद जी आज, अर्थात् 25 जुलाई, 2017 को 12.15 बजे केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन में भारत गणराज्य के चौदहवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे।

राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह तथा तत्पश्चात् राष्ट्रपति भवन में सम्मान गारद में माननीय सदस्यगण भाग ले सकें, इसके लिए मैं सभा को 15.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित करती हूं।

*(लोक सभा पूर्वाह्न* 11.04 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 3.00 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2040(अ), जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 185 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2017, जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 564(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो दिनांक 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 640(अ) में प्रकाशित हुआ था (केवल हिंदी संस्करण)।

(7) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन)अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम 2016, जो 26 दिसम्बर, 2016 के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 232/2016/एफ॰सं॰3-131/2014-यूडी में प्रकाशित हुई थी।

(दो) दमन और दीव पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम 2016, जो 31 अगस्त, 2016 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यूडी/डीएमएन/एसवीए/68(भाग-एक)/2016/484 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) दादरा और नगर हवेली पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम 2016, जो 13 अक्तूबर, 2016 के दादरा और नगर हवेली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीपीएस/107(121)/एसवीएसीटी-2014/298 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) चंडीगढ़ पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम 2016, जो 7 जून, 2017 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6/1/203-एफआईआई(8)-2016/9199 में प्रकाशित हुई थी।

(8) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण और मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल को-ओपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवेलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-आपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवेलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-आपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवेलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-आपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2017, जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰1344(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2017, जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰1475(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2017, जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰2019(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(14) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) तथा हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 513(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक वित्तीय सलाहकार, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 595(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, सहायक उपनिरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कांस्टेबल (बैंड्समैन-सह-जीडी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 508(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध उपनिरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध (अधीनस्थ रैंक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 514(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 509(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, अग्निशामक स्कंध, कांस्टेबल (ड्राइवर-सह-पंप ऑपरेटर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 510(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1988 (अ), जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारी, आप्रवासन ब्यूरो, न्यू मंगलौर सीपोर्ट इमीग्रेशन चैक पोस्ट को उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में अवस्थित सीपोर्ट एमीग्रेशन चैक पोस्ट के लिए 1.7.2017 से 'सिविल प्राधिकारी, के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विदेशियों विषयक आदेश, 1948 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 316(अ), जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आप्रवासन अधिकारी, हरिदासपुर को पश्चिम बंगाल राज्य में नॉर्थ 24-परगना जिले के अंतर्गत पेट्रापोल रेलवे स्टेशन पर आप्रवासन चैक पोस्ट की अधिकारिता के लिए विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 1 फरवरी, 2017 से 'सिविल प्राधिकारी' नियुक्त किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 317(अ), जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में नॉर्थ 24-परगना जिले के अंतर्गत पेट्रापोल रेलवे स्टेशन को यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवासन चैक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है।

(17) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 586(अ), जो 14 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 1.7.2017 से भारतीय राष्ट्रिकों के लिए पोतारोहण (प्रस्थान) कार्ड बंद किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एंड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिन्दुस्तान पेपर कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(21) (एक) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 3.03 बजे

**5. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गड़चिरोली में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।

(2) डॉ॰ अंशुल वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांवों में विद्युतीकरण कार्य की गुणवत्ता की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन और इनके अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित किए जाने तथा इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रोड़मल नागर द्वारा देश की सशस्त्र सेवाओं के वेतन और परिलब्धियों को आयकर से मुक्त रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डबोरा रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के स्थान पर ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के नगर उंटारी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के एक खंड के मरम्मत कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात राज्य में भूमिगत पॉवर केबल नेटवर्क परियोजना हेतु गुजरात राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदित्यपुर स्थित अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई और देश के अन्य भागों में रक्षा सम्पतियों के आस-पास के क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु एक आकस्मिक बाढ़ प्रबंधन नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री निनोंग इंरिंग द्वारा नस्लीय भेदभाव की घटनाओं के बारे में।

(12) श्री एम॰ उदयकुमार द्वारा तमिलनाडु राज्य को नीट परीक्षा से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) प्रो॰ सौगत राय द्वारा जर्मनी के हैमबर्ग में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता की विस्तृत जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस योजना के सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री अर्का केशरी देव द्वारा ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खरियार सड़क पर एक सड़क ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की वित्तीय स्थिति की निगरानी तथा उनको बन्द होने से बचाने के लिए समुचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री भीमराव बी॰ पाटील द्वारा तेलंगाना के मोसरा, मदनूर और निजामाबाद मंडल जिला मुख्यालयों में डाकघर भवनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वेक्षण, 2011 के बारे में।

(19) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में और अधिक रेल सुविधाओं के बारे में।

(20) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा जैजों-रहोन-जालंधर ट्रेन का विस्तार अमृतसर तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.05 बजे

**6. नियम 357 के अंतर्गत सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने अपने बारे में डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार और श्री मनोहर उटवाल द्वारा 24 जुलाई, 2017 को की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया।

अपराह्न 3.06 बजे

**7. सरकारी विधेयक — विचाराधीन**

*भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017*

आवंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 19 मिनट
शेष : 1 घंटा 41 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.25 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 26 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1418LS(S3)—25-07-2017.

# लोक सभा

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

**बुधवार, 26 जुलाई, 2017/4 श्रावण, 1939 (शक)**

**संख्या 234**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 141, 143, 144 और 146 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 142 और 145 जिन सदस्यों के नाम सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर को पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 142 और 145 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 147—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल (दावा आयुक्त द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु और क्षतियों के मामले में समादत्त प्रतिकर की धनराशि) नियम, 2017, जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 353(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) नियम, 2017, जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 354(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) संशोधन नियम, 2017, जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2017, जो 26 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 519(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद, भर्ती विनियम, 2017, जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ आईसीडब्ल्यूए/एडिमन/551/24/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2006-2007 से 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2006-2007 से 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) वैज्ञानिक और प्रवर्तित अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वैज्ञानिक और प्रवर्तित अनुसंधान अकादमी परिनियम, 2017 जो 11 अप्रैल, 2017 के भारत के रापजत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वैज्ञानिक और प्रवर्तित अनुसंधान अकादमी अध्यादेश, 2017 जो 11 अप्रैल, 2017 के भारत के रापजत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 345(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) नेशनल फिल्म डेवेलपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(i) प्रतिवेदन सं॰ 264-दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (खाद्य अपमिश्रण से संबंधित उपबंध)—जनवरी, 2017

(ii) प्रतिवेदन सं॰ 265-अप्राप्तवय के भरण-पोषण धन से उद्भूत आय को छूट देने की संभाव्यता—मार्च, 2017

**4. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(i) कि राज्य सभा 24 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 अप्रैल, 2017 को पारित फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(ii) कि राज्य सभा 24 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 अप्रैल, 2017 को पारित, नावधिकारण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**5. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—कार्य का सारांश**

महासचिव ने 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—कार्य का सारांश (1 सितंबर, 2015 से 31 अगस्त, 2016)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

**6. संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश**

महासचिव ने 'संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश (1 जून, 2015 से 31 मई, 2016)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

**7. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों का संशोधन**

महासचिव ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेशों का संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**9. नियम समिति का प्रतिवेदन**

श्री निशिकांत दुबे ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**10. याचिका समिति के प्रतिवेदन**

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) मध्य रेलवे में समूह 'घ' पदों के लिए चिकित्सीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में श्री आनंदराव अडसुल, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौतीसवां प्रतिवेदन।

(2) क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (सीआईबीआईएल) की सूची में कृषि ऋण के चूककर्ताओं के नाम शामिल न किए जाने के बारे में श्री अमोल एम॰ टोटे से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के तीसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पैंतीसवां प्रतिवेदन।

(3) मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवा की भयावह स्थिति, जिसमें प्लेटफार्मों तथा लोकल ट्रेन के कोचों के बीच अधिक दूरी के कारण लोग मारे जाते हैं तथा चोटिल होते है, के बारे में सर्वश्री मधु कोटियन और जीतेश मटालिया से प्राप्त तथा डॉ॰ किरीट सोमैया, संसद सदस्य द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन।

(4) सोना-चांदी या आभूषण की खरीद के लिए किए गए लेन-देनों हेतु स्थायी खाता संख्या (पीएएन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख किए जाने के बारे में श्री मनीष जैन से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(5) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लोक उद्यम विभाग के मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन के बारे में कोचिन रिफाइनरीज़ एम्प्लाईज एसोसिएशन के महासचिव श्री पी॰एन॰ सुरेन्द्रन नायर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।

(6) झारखंड के देवघर में एक नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआई एमएस) खोले जाने के बारे में सर्वश्री लखन तुरी और महेन्द्र प्रसाद कुशवाहा

के अभ्यावेदन जिसे श्री निशिकांत दूबे, संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था, के बारे में याचिका समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन।

**11. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण**

श्री किरीट पी॰ सोलंकी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित 'सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में मिड डे मील स्कीम में अस्पृश्यता का निवारण' के बारे में 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय 1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**12. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ किरीट सोमैया ने 'एमटीएनएल में स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए संविदागत/नैमित्तिक/सफाई कर्मचारियों की तैनाती' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग सं॰ 12) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 128वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

**14. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव**

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा से श्री दिलीपभाई पांड़या और श्री सुखेंदु शेखर राय के अवकाश प्राप्त करने के कारण लाभ के पदों

संबंधी संयुक्त समिति में उत्पन्न रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के दो सदस्यों को संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**15. अनुदानों की अनुपूरक मांगें**

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**16. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)**

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों सामान्य को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.15 बजे

**17. श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया से संबंधित मामला**

25 जुलाई, 2017 को श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया ने डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार और श्री मनोहर उटवाल द्वारा 24 जुलाई, 2017 को अपने बारे में की गई कतिपय टिप्पणियों के संबंध में नियम 357 के अधीन वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया।

इस संदर्भ में, अध्यक्ष ने टिप्पणी की*।

**18. श्री अनुराग सिंह ठाकुर से संबंधित मामला**

अध्यक्ष ने श्री अनुराग सिंह ठाकुर से संबंधित मामले के बारे में विनिर्णय* दिया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न* 12.23 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.46 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 12.46 बजे

**19. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विदेश मंत्री ने इराक में बंदी बनाए गए भारतीयों की स्थिति के बारे में स्व-प्रेरणा से वक्तव्य दिया।

*(लोक सभा अपराह्न* 1.15 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.16 *बजे पुन: समवेत हुई)*

---

*अधिक जानकारी के लिए उस दिन का वाद-विवाद देंखे।

अपराह्न 2.16 बजे

**20. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में बंद पड़ी जारंगडीह कोयला खदान तथा बेरमो सीम इन्क्लाइन कोयला खदान (बोकारो-करगली) को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा महाराष्ट्र के अहमद नगर में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-1 के नए भवन के निर्माण हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती अंजू बाला द्वारा पान की खेती को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) प्रो॰ रिचर्ड हे द्वारा केरल के मुन्नार में प्रचूर मात्रा में मौजूद जैव विविधता को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-22 स्थित केन्द्रीय विद्यालय के लिए एक नए भवन का निर्माण किए जाने तथा किराड़ी और रोहिणी सेक्टर-30 में नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रह्लाद जोशी द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन निधियां संवितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा चित्रकूटधाम कर्वी-कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार लखनऊ तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में चीनी, लकड़ी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राहुल कस्वां द्वारा आवारा पशुओं से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सीतापुर–मैलानी रेल खंड पर समपार संख्या–119सी/ई–2 पर यातायात को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री देवुसिंह चौहान द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों के उपयोग में पारदर्शिता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा एकलव्य विद्यालयों में तदर्थ आधार पर कार्यरत अध्यापकों की सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार में दाऊदपुर रेलवे स्टेशन पर मौर्या एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव तथा एकमा रेलवे स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस, ग्वालियर मेल और लखनऊ–पाटलिपुत्रा मेल के ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा इंदौर और दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस या एक अन्य हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा देश में रबड़ उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री वी॰ पन्नीरसेलवम द्वारा तमिलनाडु में सलेम इस्पात संयंत्र के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री पी॰ नागराजन द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में विसंगति को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ तापस मंडल द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े समूह की खोज किए जाने के बारे में।

(19) श्री सुल्तान अहमद द्वारा विमान में इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए मांसाहारी भोजन परोसना बंद करने के एयर इंडिया के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दो अतिरिक्त बटालियन तैनात किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री आनंदराव अडसुल द्वारा रेलवे खान–पान नीति, 2017 में छोटे खान–पान विक्रेताओं के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक तथा तेलंगाना ग्रामीण बैंक के समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री एम॰ बी॰ राजेश द्वारा पालक्काड़-पोलाची रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाओं को पुन: शुरू किए जाने के बारे में।

(24) श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा आन्ध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खराब सड़क सम्पर्क के बारे में।

(25) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा बिहार के जमालपुर में एक रेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री जोस के॰ मणि द्वारा कृषि उत्पादों के प्रापण हेतु विद्यमान तंत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.17 बजे

**21. सरकारी विधेयक—पारित**

*भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017*

लिया गया समय : 1 घंटा 42 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 25 जुलाई, 2017 को पेश किए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रहलाद जोशी
2. प्रो॰ सौगत राय
3. श्री लडू किशोर स्वाईं
4. श्री राहुल शेवाले
5. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
6. श्री पी॰के॰ बिजू

7. श्रीमती रेणुका बुत्ता
8. श्री एम॰ श्रीनिवास राव
9. डॉ॰ संजय जायसवाल
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार
11. श्री के॰ अशोक कुमार
12. श्री गोपाल शेट्टी
13. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
14. श्री निहाल चन्द

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.40 बजे

**22. सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

*कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016*

आवंटित समय : 3 घंटे
लिया गया समय : 4 मिनट
शेष : 2 घंटे 56 मिनट

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.44 बजे

*( व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 27 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1450LS(S3)—26-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**गुरुवार, 27 जुलाई, 2017/5 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 235**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 161 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.05 *बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न* 11.30 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 162—164 के मौखिक उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 165—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 997(अ) जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित उक्त अधिनियम की अनुसूची 3 में उपांतरण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना सं॰ एल-1/18/2010-सीईआरसी, जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 12 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं॰ एल-1/18/2010-सीईआरसी का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2017, जो 29 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एल-1/210/2016-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(4) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2016, जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1156(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और सामान्य संवर्ग पद) भर्ती नियम, 2015, जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 963(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**4. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 26 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017, लोक सभा द्वारा 11 अप्रैल, 2017 को पारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**5. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:—

(एक) जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित ''बाढ़ से नष्ट हुई फसलों की क्षति के लिए किसानों को प्रतिकर और किसानों के खेतों में रह गई बालू के निपटान का अधिकार देने सहित बाढ़ प्रबंधन, प्रतिकर तथा जलमग्न और अपदरित भूमि के स्वामित्व की स्थिति से संबंधित मुद्दों'' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफरिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित 'भू-जल परिदृश्य का पुनरीक्षण, एक व्यापक नीति की आवश्यकता तथा (क) डार्क ब्लॉक और (ख) कतिपय उद्योगों द्वारा भू-जल के संदूषण के विशेष संदर्भ में देश में विद्यमान समस्याओं का समाधान करने के लिए उपायों' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

**6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से संबंधित प्रस्ताव— समय का बढ़ाया जाना**

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय संसद के शीतकालीन सत्र (2017) के अंतिम सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

7. **सदस्यों द्वारा निवेदन**

निम्नलिखित सदस्यों ने देश भर में भीड़ द्वारा पीटकर मारने की कथित घटनाओं के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

3. मोहम्मद सलीम

*श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

*( व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.53 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.02 बजे

8. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा नदी अनुकूल तकनीकों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला मुख्यालय के उपडाकघर का उन्नयन कर इसे प्रधान डाकघर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मोतिहारी में चीनी मिल द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा रेलवे में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों को स्थाई तौर पर भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*रसायन तथा उर्वरक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री।

(5) श्री छेदी पासवान द्वारा जगदीशपुर–हल्दिया और बोकारो–धमरा गैस पाइप लाइन को बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात में आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया स्टेशन के निकट समपार संख्या–1 पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना को पुन: आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गणेश सिंह द्वारा रेलवे स्टेशनों के निकट रेल लाइनों की सफाई के लिए एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ सत्यपाल सिंह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों पर राजसहायता के स्थान पर लोगों को सीधे नगदी हस्तान्तरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजीव सातव द्वारा देश में पत्रकारों की सुरक्षा हेतु एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस द्वारा केरल के कोच्चि के पुतुवाइपु में भंडारण सुविधा स्थापित किए जाने के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री टी॰ राधाकृष्णन द्वारा पटाखों पर जीएसटी दर कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन द्वारा जम्मू–कश्मीर में केन्द्रीय अनुदानों की निगरानी तथा अनुच्छेद 370 को निरसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के राउरकेला इस्पात संयंत्र में कथित अनियमितताओं के बारे में।

(18) कुँवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूर्यगढ़ जगन्नाथ के निकट चौकीदार वाला फाटक पुनः खोल जाने, एक हॉल्ट स्टेशन प्रदान किए जाने तथा फाटक पर एक अंडरपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा देश में विशेषकर झारखंड के राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिस भूमि का सर्वेक्षण नहीं हुआ है उसका सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

**9. सरकारी विधेयक—पारित**

*कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016*

लिया गया समय : 4 घंटे 08 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 26 जुलाई, 2017 को पेश किए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस
2. डॉ॰ किरीट सोमैया
3. श्री एस॰आर॰ विजय कुमार
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान

9. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

10. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया

11. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

12. श्री रत्न लाल कटारिया

13. श्री राजीव सातव

14. श्री प्रेम दास राई

15. श्री अजय मिश्रा (टेनी)

16. श्री कुँवर हरिवंश सिंह

17. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

18. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खण्ड 7 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 16 स्वीकृत हुए।

खण्ड 17 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 से 20 स्वीकृत हुए।

खण्ड 21 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 से 27 स्वीकृत हुए।

खण्ड 28 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 19 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 30क के अन्त:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 30क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 35 और 36 स्वीकृत हुए।

खण्ड 37 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 38 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39 और 40 स्वीकृत हुए।

खण्ड 41 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 42 से 47 स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 28 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 47क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 47क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 48 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 49 से 58 स्वीकृत हुए।

खण्ड 59 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 60 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 61 से 63 स्वीकृत हुए।

खण्ड 64 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 65 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 66 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 67 से 73 स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 38 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 73क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 73क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 74 और 75 स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 39 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 75क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 75क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 76 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 77 और 78 स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 78क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 78क भी स्वीकृत हुआ।

खण्ड 79 से 87 स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और

जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 43 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 88 को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 88 भी स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 6.07 बजे

**10. सरकारी विधेयक — विचाराधीन**

*भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017*

आवंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 02 मिनट
शेष : 1 घंटा 58 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.09 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार, 28 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1534LS(S3)—27-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**शुक्रवार, 28 जुलाई, 2017/6 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 236**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 181—183 तथा 185 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न संख्या 184 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। सदस्यों द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 184के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 186—193, 195—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। नियम 374क के अंतर्गत सभा की सेवा से सदस्य के निलंबन के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 194 को हटा दिया गया।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2102, 2104—2143, 2145—2259, 2261—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। नियम 374 के अंतर्गत सभा की सेवा से सदस्यों के निलंबन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 2103, 2144 और 2260 को हटा दिया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2017 जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 599(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) डिपोसिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) प्रादेशिक ग्रामीण बैकों के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) नियम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 987(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकक क्षमता के आंतरिक विकास का विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2017 जो 8 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 562(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2017 जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत भारतीय बीमांकक संस्थान (संदस्य के रूप में प्रवेश तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र का जारी किया जाना) विनियम, 2017 जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰

एम-18012/03/2008-इंस॰ III में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 642(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2017 जो 4 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 826(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 2065(अ) जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित धारा 269एसटी के उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 428(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) का॰आ॰ 1382(अ) जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों, पट्टियों और ओषधि मिश्रणों को विनिर्मित ओषधि के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 1383(अ) जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उसमें उल्लिखित मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 1384(अ) जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं का॰आ॰ 1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 690(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति के लिए दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 691(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय माल और सेवा कर से कतिपय सेवाओं की आपूर्ति में छूट को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 692(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाओं की उन श्रेणियों को अधिसूचित करना है, जिन पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर संदेय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 693(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति मानी जाएंगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 694(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो प्रयोग नहीं किए गए आदान कर क्रेडिट के रिफंड के लिए अपात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 695(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संगठनों या संस्थाओं को अधिसूचित करना है जो उन्हें प्राप्त अधिसूचित माल और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर समादत्त कर के रिफंड का दावा करने की हकदार हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 696(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर इलेक्ट्रानिक कॉमर्स आपरेटर द्वारा कर का संदाय किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 683(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति की दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 684(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत एकीकृत माल और सेवा कर से कतिपय सेवाओं की आपूर्ति में छूट को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 685(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाओं की उन श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र के अंतर्गत एकीकृत कर संदेय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 686(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तियों जो न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति मानी जाएंगी, को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 687(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो प्रयोग नहीं किए गए आदान कर के क्रेडिट के रिफंड के लिए अपात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 688(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के

अंतर्गत ऐसे संगठनों या संस्थाओं को अधिसूचित करना है जो उन्हें प्राप्त अधिसूचित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर समादत्त कर के रिफंड का दावा करने की हकदार हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 689(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की ऐसी श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर इलेक्ट्रानिक कॉमर्स आपरेटर द्वारा कर का संदाय किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 702(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की आपूर्ति की दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 703(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से कतिपय सेवाओं की आपूर्ति में छूट को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 704(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाओं की उन श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यावर्ती प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर संदेय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 705(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो न तो माल की आपर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति मानी जाएंगी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 706(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत

ऐसी आपूर्तियों को अधिसूचित करना है जो प्रयोग नहीं किए गए आदान कर के क्रेडिट के रिफंड के लिए अपात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 707(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे संगठनों या संस्थाओं को अधिसूचित करना है जो उन्हें प्राप्त अधिसूचित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर समादत्त कर के रिफंड का दावा करने की हकदार हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 708(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की इन श्रेणियों को अधिसूचित करना है जिन पर इलेक्ट्रानिक कॉमर्स आपरेटर द्वारा कर का संदाय किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 709(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति पर प्रतिकर उपकर की दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 720(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर की दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयात शुल्क का आस्थगित संदाय (संशोधन) नियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 321(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की संभलाई (संशोधन) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 322(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) बिल आफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 323(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) बिल आफ एंट्री (प्रपत्र) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 324(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 1038(अ), जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 814(अ), जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 1 जुलाई, 1976 की अधिसूचना संख्या 318/1976-सी॰शु॰ को निरस्त करना और परिणामस्वरूप व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आयातित सभी शुल्कयोग्य मदों पर 28 प्रतिशत एकीकृत माल और सेवा कर लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 850(अ), जो 8 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 665(अ), जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2017 को कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 के सभी उपबंधों को लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 597(अ), जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पाकिस्तान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीस लिमिटेड, पाकिस्तान द्वारा विनिर्मित और निर्यातित ''क्लियर फ्लोएट ग्लास, जिसकी मामूली मोटाई 4 मिली मीटर से 12 मिली मीटर (दोनों ही शामिल) हो'' के

आयात पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, ऐसे माल के सभी आयातों को अंतिम रूप देना है जिन्हें 30 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ 53/2015-सी॰शु॰ के अनुसरण में अनंतिम मूल्यांकन के अध्यधीन रखा गया था तथा इसके परिणामस्वरूप 30 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं॰ 53/2015-सी॰शु॰, (एडीडी) को निरस्त किया गया है। इस प्रकार, अधिसूचना सं॰ 30/2017 को 2017 की रिट याचिका सं॰ 12950 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 25 मई, 2017 को दिए गए आदेश को देखते हुए आस्थगित रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 879(अ), जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भुत अथवा वहां से निर्यातित 'ओ-एसिड' के आयात पर 6 माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 38 तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर वापसी (संशोधन) नियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 723(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 724(अ), जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 131/2016-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 408(अ), जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 131/2016-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 800(अ), जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 815(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2005 की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित समस्त माल को उस पर उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 816(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तंबाकू उत्पादों पर संयुक्त उद्ग्रहण से संबंधित 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं॰ 16/2010-के॰उ॰शु॰ को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 31क की उप-धारा 2 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 6/1/2016-वसूली/डीआरटी, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 31क के साथ पठित धारा 2(ठ)(ड)(IV) के अंतर्गत अंतिम संपरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की आस्ति वाली उसमें उल्लिखित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को 'वित्तीय संस्थाओं' के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषणकारी तत्व, जीव विष और अवशिष्ट) पहला संशोधन विनियम, 2017, जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-10 (2)/मानक/एसपी (मत्स्य और मत्सयपालन उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 13वां संशोधन विनियम, 2016, जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी॰15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसआई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 1-10(7)मानक/एसपी (मत्स्य और मत्स्यपालन उत्पाद) एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवा संशोधन विनियम, 2017, जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ मानक/03/अधिसूचना(एल॰एस॰)/एफएसएसएआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2017, जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ मानक/एससीएसएसएण्डएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पहला संशोधन विनियम, 2017, जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ मानक/ओएण्डएफ/अधिसूचना(1)/एफएसएसएआई-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(19) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2017 का संख्यांक 24) — वायु सेना।

(दो) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2017 का संख्यांक 26) — रक्षा पेंशन के वितरण के बारे में कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(तीन) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2017 का संख्यांक 27) — (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर) मार्च, 2017

को समाप्त हुए वर्ष के लिए निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/मेडिकल क्लीनिकों, मेडिकल कॉलेज/शोध संस्थानों, नैदानिक केन्द्रों, पैथोलॉजिकल लैबों और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/स्टोरों के मूल्यांकन के संबंध में निष्पादन लेखापरीक्षा।

(चार) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2017 का संख्यांक 28) — सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुन: पंजीकरण, वित्त मंत्रालय के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

(21) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, जो 27 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2016-17/035 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाही का निपटान) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2016-17/036 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क की संदायगी और संदायगी की रीति) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 6 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2016-17/037 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शुल्क की संदायगी और संदायगी की रीति) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2016-17/038 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2016-17/002 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध किए जाने का दायित्व और प्रकटीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2016-17/025 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2016-17/026 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 27 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2017-18/001 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाओं को जारी करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2017-18/006 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कार्पोरेशन्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, जो 29 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/लैड-एनआरओ/जीएन/2017-18/003 में प्रकाशित हुए थे।

(22) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 की धारा 26अ, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 26अ और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 22ग के अधीन जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (तीसरा संशोधन) नियम, 2017, जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 822(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 1180(अ), जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों के प्रयोजनार्थ सिटी सिविल

और सत्र न्यायालय, ग्रेटर मुंबई की अध्यक्षता करने के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है।

(23) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इंफारमेशन यूटीलिटीज) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग.009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017, जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग.010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017, जो 14 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग.011 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (फास्ट ट्रैक इंसाल्वेन्सी रिजोल्यूशन प्रोसस फॉर कार्पोरेट पर्सन्स) विनियम, 2016, जो 15 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग.012 में प्रकाशित हुए थे।

(24) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2016, जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 51(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर (मासिक आय खाता) (संशोधन) नियम, 2016, जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 52(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2016, जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 53(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2016, जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 383(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2017, जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 384(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 386(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(25) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 388(अ), जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् निधि में प्राप्त अभिदान और अभिदाता के खाते में शेष जमा पर प्रतिवर्ष 7.9 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 128 के अंतर्गत जारी वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 380(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्व की समाप्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंक नोट (बैंकों, डाकघरों और डिस्ट्रिक सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंकों द्वारा निक्षेप) नियम, 2017, जो 20 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 611(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2017, जो 16 मई, 2017 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 470(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2039(अ), जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 में यथाउल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति अथवा उद्यम, जो किसी संयोजन के पक्षकार है, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 43क और धारा 6 की उप-धारा (2क) के अध्यधीन, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) में उल्लिखित 30 दिवस के भीतर सूचना देने से छूट प्रदान की गई है।

(दो) का॰आ॰ 988(अ), जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत शेयर, मतदान अधिकार का नियंत्रण करने वाले अथवा आस्तियों का अर्जन करने वाले उद्यमों को छूट प्रदान की गई है।

(तीन) का॰आ॰ 989(अ), जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 674(अ) को निरस्त किया गया है (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) का॰आ॰ 950(अ), जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लाइनर शिपिंग इंडस्ट्री के वेस्सल शेयरिंग करारों को 31 मार्च, 2017 से 3 माह की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है।

(पाँच) का॰आ॰ 1933(अ), जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लाइनर शिपिंग इंडस्ट्री के वेस्सल शेयरिंग करारों को 20 जून, 2017 से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है।

(30) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चार्टर्ड एकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2017, जो 25 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 1-सीए(7)/178/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 376(अ), जो 17 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(31) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 391(अ), जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 15 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में रुझानों की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 के नियम 7 के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 387(अ), जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् निधि में प्राप्त अभिदान और अभिदाता के खाते में शेष जमा पर प्रतिवर्ष 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 145 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1317(अ), जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2017 को उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के भाग 8 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति।

(35) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 242(1) के अंतर्गत दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2017, जो 24 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰1683(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2016, जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किसान विकास पत्र (संशोधन नियम), 2017, जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन नियम), 2017, जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(37) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

**4.राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 26 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 मार्च, 2017 को पारित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 45वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

**6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ सत्पपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 21वां और 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.03 बजे

**7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्री ने 31 जुलाई, 2017 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 12.55 बजे

**8. सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने भारतीय एथलेटिक परिसंघ द्वारा सुश्री पी॰यू॰ चित्रा को लंदन में आयोजित की जाने वाली वर्ल्ड एथलेटिक मीट में भाग लेने की अनुमति देने से इंकार किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन, श्री एम॰बी॰ राजेश और डॉ॰ शशि थरूर सहयोजित हुए।

अपराह्न 1.04 बजे

(दो) श्री भर्तृहरि महताब ने इंटरनेशनल एसोशिएशन आफ एथलेटिक्स फेडरेशन (आईएएएफ) की हाइपरान्ड्रोजेनिज्म नीति के कथित उल्लंघन के कारण धावक सुश्री दुती चंद के एथलेटिक मीट में भाग लेने से निरर्ह हो जाने के बारे में निवेदन किया।

कुंवर पुष्पेद्र सिंह चंदेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री शरद त्रिपाठी और श्री कामाख्या प्रसाद तासा सहयोजित हुए।

*श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

---

#अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 1.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*संसदीय कार्य मंत्री।

अपराह्न 1.19 बजे

**9. सरकारी विधेयक—पारित**

*भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017*

लिया गया समय: 3 घंटे 22 मिनट

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 27 जुलाई, 2017 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में हिस्सा लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्रीमती पूनम महाजन
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान
5. श्री अरविन्द गणपत सावंत
6. डॉ॰ रवीन्द्र बाबू पांडुला
7. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
8. श्री एम॰बी॰ राजेश
9. श्री धनंजय भीमराव महाडीक
10. डॉ॰ हरि कंभमपति बाबू
11. श्री सिराजुद्दीन अजमल
12. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
13. श्री प्रेम दास राय
14. श्री कौशलेन्द्र कुमार
15. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
16. श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन
17. श्री हरीश चंद्र मीना

18. श्री राजीव शंकरराव सातव

19. डॉ॰ सत्य पाल सिंह

20. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा

21. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता

22. श्री रमेश बिधूड़ी

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 से 39 स्वीकृत हुए।

अनुसूची, यथासंशोधित स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 4.39 बजे

**10. प्रस्ताव**

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 26 जुलाई, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 35 वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अपराह्न 4.41 बजे

**11. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—वापस लिया गया।**

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से निम्नलिखित के संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को संराशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ बहाल करना;

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के बारह महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना;

(तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से संराशीकृत पेंशन की पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना;

(चार) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रति माह करना;

(पांच) लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना;

(छह) विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना; और

(सात) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार।''

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

अपराह्न 5.27 बजे

**12. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन**

श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

'' इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि—

(i) 1950 के बाद से, देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, बंगलौर और चंडीगढ़ में स्थित विविध रक्षा स्थापनाओं में और उनके आस-पास बड़ी संख्या में आवासीय भवनों का निर्माण हो चुका है, जो आज पूर्णतया जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और उनके अविलंब पुनरुद्धार की आवश्यकता है;

(ii) रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2016 को सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को जारी परिपत्र में रक्षा स्थापनाओं से एक निश्चित दूरी पर भवन निर्माण के लिए ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' (एनओसी) जारी करने के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है; और

(iii) उनकी रक्षा स्थापनाओं के आस-पास स्थित पुराने घरों और भवनों के पुनरुद्धार पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

यह सभा उपरोक्त परिपत्र का सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों, विशेषकर नौसेना द्वारा अविलंब अनुपालन कराने के लिए सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है ताकि रक्षा स्थापनाओं के आस-पास स्थित भवनों का समय पर पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जा सके।''

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

*(लोक सभा सोमवार, 31 जुलाई, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1551LS(S3)—28-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**सोमवार, 31 जुलाई, 2017/9 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 237**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 201—204 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 205—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) वी॰वी॰ गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपार्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केन्द्रीय नियम, 1971 की धारा 35 की उप-धारा (3), भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1998 की धारा 62 की उप-धारा (3) तथा अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) केन्द्रीय नियम, 1980 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अधीन कतिपय श्रम विधि नियम, 2017 के अधीन प्ररूपों और प्रतिवेदनों का युक्तिकरण जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 294(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन नियम, 2017 जो 2 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 543(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (लेखों और अभिलेखों का वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2017 जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के रापजत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 173(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या जे-25021/3/2015-जेन॰ जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुई थी और जो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के नियमों और विनियमों के बारे में है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(8) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत अचल और चल दबाव वैसेल्स (अनफायडी) नियम, 2016 जो 1 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1109(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1415(अ) जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, और जो डेवलपमेंट काउंसिल फॉर पल्प, पेपर एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज की स्थापना किए जाने के बारे में है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1718 (अ) जो 30 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 1861(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(11) (एक) दि नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) दि नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्युजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्युजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) दि मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आईजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) दि मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजोल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) मेघालय सर्व शिक्षा अभियान, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेघालय सर्व शिक्षा अभियान, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) दि यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि यू॰पी॰ एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) दि पश्चिम बंगा सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि पश्चिम बंगा सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) दि सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैण्ड, कोहिमा के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) एक्सॉम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सॉम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) जम्मू-कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान, जम्मू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) मेकॉन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आईजोल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आईजोल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल, वारंगल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या 11-1-/एमजीसीयूबी/जीए/2016/1131 जो 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ 2, 3, 4, 16 और 17 में संशोधन किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या आर/2017/5/217 जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आर/2017/5/217 जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय केरल विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 1072/एकेडमिक/2017 जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(पाँच) अधिसूचना संख्या सीयूकेएमआर/एडमिन/एफ॰ सं॰ 385/14/3522 जो 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिनियम सं॰ 10(5) एवं उसमें उल्लिखित केन्द्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(छह) अधिसूचना संख्या 11-1/एमजीसीयूबी/जीए/2016/1187 जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित

महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(सात) अधिसूचना संख्या 3-3/सीयूएचपी/जीए/2010/वॉल्यूम II जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(आठ) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-एडमिन/5822 जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय गुजरात विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(नौ) अधिसूचना संख्या 16 जो 23 अप्रैल, 2010 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के परिनियम सं॰ 40 में संशोधन किया गया है।

(दस) अधिसूचना संख्या सीयूके/जीओवी/एफ-101/2016-17/1261 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के परिनियम सं॰ 42 में संशोधन किया गया है।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या सीयूके/जीओवी/एफ-1/2011-12/1360/1 जो 24 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के परिनियम सं॰ 43, 44 और 45 में संशोधन किया गया है।

(बारह) अधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/आरओ/2017-(1) ओआर (2) जो 27 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(तेरह) अधिसूचना संख्या सीयूआरएजे/आर/एफ॰ 87/2017/4740 जो 3 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(चौदह) अधिसूचना संख्या सीयूआरएजे/आर/एफ॰ 87/2017/4740 जो 3 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें

उल्लिखित केन्द्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(पंद्रह) अधिसूचना संख्या वीसीओ/सीवीओ/2017/168 जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(सौलह) अधिसूचना संख्या सीयूआरएजे/आर/एफ॰ 35/666(1) जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(सत्रह) अधिसूचना संख्या 11-1-/एमजीसीयूबी/जीए/2016/1561 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(अठारह) अधिसूचना संख्या सीयूटीएन-10(1)/2012-लीगल जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केन्द्रीय तमिलनाडु विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(82) उपर्युक्त (81) के मद स॰ (नौ) से (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 37-3/2009-डेस्क(यू) जो 15 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित त्रिपुरा विश्वविद्यालय की अध्यादेश संख्याओं में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसयू/2007/आरईजी-03/जीएन-025/923/1728 जो 6 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित सिक्किम विश्वविद्यालय की अध्यादेश संख्याओं में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एडीएम-01/एसबी/2000-01 जो 6 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उसमें उल्लिखित राजीव गांधी विश्वविद्यालय की अध्यादेश संख्याओं में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या एडीएम-12/एसबी/2000-11 जो 28 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 23 और 24 के अधीन विजिटर द्वारा अनुमोदित परिनियमों का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) अधिसूचना संख्या 23 जो 10 जून, 2011 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय के परिनियम सं 11 और 13 में संशोधन के बारे में है।

(87) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 की धारा 49 की उप-धारा(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या आईजीएनटीयू/2017/आरईजी/243 जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या आईजीएनटीयू/2017/336 जो 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईजीएनटीयू/2017/416 जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश सं॰ में संशोधन किया गया है।

(88) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना देना) नियम, 2015, जो 29 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 517(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1304(अ) जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय विनियम, 2017 के अधीन यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा लागू की जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति स्कीमों के संबंध में आधार के उपयोग के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(91) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अधीन दि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन) (संशोधन) विनियम, 2017, जो 6 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰सं॰ सीए/1/2017/रेगुलेशन्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

**4. राज्य सभा से संदेश**

**महासचिव** ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 27 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 2017 को पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

**डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार** ने 'राष्ट्रीय सौर मिशन—एक मूल्यांकन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**6. प्रस्ताव**

**श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने** निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 28 जुलाई, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

**7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक,* 2017

**8. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया**

पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

**9. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*केन्द्रीय माल और सेवाकर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक,* 2017

**10. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया**

केन्द्रीय माल और सेवाकर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 3) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

**11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*एकीकृत माल और सेवाकर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक,* 2017

**12. अध्यादेश के बारे में विवरण-सभा पटल पर रखा गया**

एकीकृत माल और सेवाकर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

**13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक,* 2017

अपराह्न 12.07 बजे

**14. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा संसद सदस्यों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता राशि की मांग करने वाले रोगियों की और अधिक संख्या में अनुशंसा करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण होने वाली तबाही को रोकने हेतु बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा देश में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री से संबंधित नियमों एवं विनियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा कर्नाटक में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानदंडों का कथित उल्लंघन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा देश में क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण करने हेतु धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती कमला देवी पाटले द्वारा छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चाम्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 340 पर अंडरब्रिज एवं समपार संख्या 345 पर अंडरब्रिज/ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में।

(10) श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के संबंध मं अनिश्चितता की स्थिति के बारे में।

(11) डॉ॰ नैपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 385बी पर रोड़ ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) प्रो॰ चिंतामणि मालवीय द्वारा पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक हिंसा के कारण जानमाल का नुकसान झेल रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में महाप्रबंधक, बीएसएनएल का कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मौजा हुन्डरू में किसानों को उनकी कृषि भूमि पर खेती करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा एम॰के॰ बेजबरूआ समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय दंड संहिता में धारा 153ग और 509क अंत:स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल के तेल्लीचेरी से कर्नाटक में मैसूर तक एक नई रेल लाइन के बारे में।

(18) श्री आर॰के॰ भारती मोहन द्वारा तमिलनाडु के मइलदुथुरई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओएनजीसी के दो तेल कुओं के विरुद्ध जन आन्दोलन के बारे में।

(19) श्री आर॰पी॰ मुरुदराजा द्वारा तमिलनाडु के पेरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो बांधों के निर्माण के बारे में।

(20) श्रीमती ममता ठाकुर द्वारा घरेलू नौकरों के कल्याण हेतु एक कानून बनाए जाने के बारे में।

(21) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण संबंधी मानदंडों का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन विश्वविद्यालय में खेल-शिक्षा विभाग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर द्वारा थालास्सेरी से मैसूर तक नई रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में अन्य पिछड़े वर्गों की बकाया रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.07 बजे

**15. नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 5 घंटे 23 मिनट

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में अत्याचारों और भीड़ द्वारा हिंसा में जान से मारने की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. *श्री हुक्मदेव नारायण यादव

*(लोक सभा अपराह्न* 1.17 *बजे स्थगित हुई और अपराहन* 2.17 *बजे पुन:समवेत हुई)*

अपराहन 2.17 बजे

2. प्रो॰ सौगत राय
3. श्री रामविलास पासवान
4. डॉ॰ के॰ गोपाल
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री मुलायम सिंह यादव
7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. श्री जैदेव गल्ला
9. मोहम्मद सलीम
10. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
11. श्रीमती कोथापल्ली गीता
12. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले

---

*उन्होंने सभा के पुन: समवेत होने के पश्चात् अपना भाषण भी पुन: आरम्भ किया।

13. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी

14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

15. श्री असरारूल हक मोहम्मद

16. श्री भगवंत मान

17. मौलाना बदरूद्दीन अजमल

18. श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टी

19. प्रो॰ रिचर्ड हे

20. श्री असादुद्दीन ओवैसी

श्री किरेन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 6.30 बजे

*( लोक सभा मंगलवार, 1 अगस्त, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1605LS(S3)—31-07-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**मंगलवार, 1 अगस्त, 2017/10 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 238**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 221—225 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 226—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दि अण्डमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स फोरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दि अण्डमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स फोरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दिल्ली पुलिस, समूह ''ग'' मल्टी टास्किंग स्टाफ (सिविलियन) भर्ती नियम, 2017 जो 21 मार्च, 2017 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰16/1/2016/एचपी-1/स्था॰/6796—6798 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2017 जो 31 मार्च, 2017 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰16/3/ 2014/एचपी-1/स्था॰/7031—7034 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना सं॰ एफ॰ 1/07/2016/एचपी-I/स्था॰/302 से 309 जो 20 अप्रैल, 2017 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा नांगलोई मेट्रो, जनकपुरी मेट्रो, आईएनए मेट्रो, राजीव चौक मेट्रो, नेहरू प्लेस मेट्रो, प्रगति मैदान मेट्रो, आजादपुर मेट्रो और नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो पुलिस थाना के बारे में है।

(6) (एक) दि नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेन्ट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेन्ट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दि बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दि बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1211(अ) जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 38 के अधीन केन्द्रीय उर्वरक समिति के पुनर्गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, सहायक उप-निरीक्षक (ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III), आपरेशनल डायरेक्ट्रेट कम्बैटाइज्ड भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 12 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, (संशोधन) नियम, 2017, जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल, प्रूफ रीडर काम्बेटाइज्ड पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 533(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा सुरक्षा बल, इंजीनियरिंग सेट अप (सिविल), काम्बेटेंट (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 532(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा सुरक्षा बल, (इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रिकल)(समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 656(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, सीनियर जेस्टेटनर ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड स्टैनोग्राफर्स कैडर समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 657(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा सुरक्षा बल, काम्बेटाइज्ड (हिन्दी अनुवादक) कैडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा सुरक्षा बल, (लाईब्रेरियन) (कम्बैटाइज्ड अराजपत्रित, समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 12 जून , 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कार्यशाला (अराजपत्रित) समूह 'ख' पद और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा सुरक्षा बल, समूह 'क' (जनरल डयूटी ऑफीसर्स) भर्ती नियम, 2017, जो 29 जून , 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 725(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा सुरक्षा बल, वाटर विंग, समूह 'क' (तकनीकी स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 12 जून , 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 572(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 76 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 531(अ), जो 30 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान विनियम, 2006 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2017, जो 30 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 530(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली, के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशन डिफेंस, नई दिल्ली, के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2017, जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 629(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2041(अ), जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 29 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3577(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 59वां प्रतिवेदन (मान लिए गए)।

(2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 60वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

(3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 61वां प्रतिवेदन (मान लिए गए)।

(4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 62वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

**5. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री गणेश सिंह ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 'विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षण/तकनीकी संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने एवं उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (2015-16) (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2016-17) का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी अथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**6. श्रम संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण**

डॉ॰ किरीट सोमैया ने विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मागें (2016-17)' के बारे में 16वें प्रतिवदेन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट श्रम संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी प्रति) सभा पटल पर रखा।

**7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री प्रह्लाद जोशी ने 'उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.04 बजे

**8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*(लोक सभा अपराह्न* 1.14 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.15 *बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराह्न 2.15 बजे

**9. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा व्यावसायिक ऋण की तर्ज पर कृषि ऋण के लिए भी जोखिम लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के 'तांती' समुदाय के लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में सुअरा नदी पर बांध का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं के बारे में।

(5) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई में विभिन्न स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिजों और रेलवे अंडरब्रिजों का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा रीवा–मिर्जापुर सड़क के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के वारदोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक सुविधाओं से वंचित स्थानों में डाकघर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली में नरेला को आधुनिक नगर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा महिलाओं की तस्करी में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने तथा बचाई गई ऐसी महिलाओं के समुचित पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक जेल में बंद किए गए लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में चीनी मिलों द्वारा प्राप्त की गई ऋण की सुविधा के कथित दुरूपयोग की जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री प्रकाश बा॰ हुक्केरी द्वारा कर्नाटक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर स्थित नेहरू युवा केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों में 'युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण' और 'राष्ट्रीय एकता कैंप' को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा नारियल उत्पादक किसानों को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन द्वारा इरोड-पलानी राज्य राजमार्ग हेतु तमिलनाडु सरकार को विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री सी॰ गोपालकृष्णन द्वारा तमिलनाडु के अविनाशी अतिकडावु भू-जल संभरण परियोजना के बारे में।

(20) डॉ॰ तापस मंडल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत धनराशि का पूरा उपयोग जाने के बारे में।

(21) डॉ॰ (श्रीमती) ममताज़ संघमिता द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थिति माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन (एमएएमसी) का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में।

(22) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा ओडिशा में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में पूंजी लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा लैंगिक समानता के मुद्दे के बारे में।

(24) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में।

(25) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री विजय कुमार हांसदाक द्वारा झारखंड में किसानों को पर्यापत ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तथा राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार के भागलपुर से घरेलू विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री राजू शेट्टी द्वारा कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने तथा पूरे कृषि ऋण की माफी की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.16 बजे

**10. (एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2017-2018 और**

**(दो) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—2014-2015**

लिया गया समय: 5 घंटे 11 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें—दूसरा प्रक्रम (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 3, 5 से 7,9,11,12,15 से 20,23,26,27,29,30,33 से 35,40 से 42,46, से 49,51,52,55,57 से 60,64,66,70,72,73,77,80 से 82,84 से 87,89,90 से 92 और 94 से 100 और;

(दो) सिविल मंत्रालय से संबंधित अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13,21,77 तथा वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) के संबंध में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 2,14 और 16.

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री निशिकान्त दुबे
3. श्री आर॰के॰ भारती मोहन
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पांडुला
8. श्री पी॰ करूणाकरन
9. डॉ॰ वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली
10. श्री रमेन डेका
11. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
12. श्री पी॰सी॰ मोहन
13. श्री प्रेम सिंह चन्दुमाजरा

14. श्री उदय प्रताप सिंह

15. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

16. श्री कौशलेन्द्र कुमार

17. श्री राजीव सातव

18. श्री एलुमलाई वी॰

19. डॉ॰ हिनाकुमार विजयकुमार गावीत

20. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

21. डॉ॰ अरूण कुमार

22. श्री प्रेम दास राई

23. डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय

24. मौलाना बदरूद्दीन अजमल

25. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

26. श्री जोस के॰ मणि

27. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

28. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज

29. डॉ॰ मनोज राजोरिया

30. गुरजीत सिंह औजला

31. श्री जर्नादन मिश्र

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रथम प्रक्रम (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 3,5 से 7,9,11,12,15 से 20,23,26,27,29,30,33 से 35,40 से 42,46 से 49,51,52,55,57 से 60,64,66,70,72,73,77,80 से 82,84, से 87,89,90 से 92 और 94 से 100 अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रथम प्रक्रम (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सिविल मंत्रालय से संबंधित सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 21, 77 तथा रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 2, 14 और 16, वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 और 4 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

**11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2017*

**12. सरकारी विधेयक—पारित**

*विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2017*

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

**13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017*

**14. सरकारी विधेयक—पारित**

*विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017*

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.27 बजे

( *लोक सभा बुधवार,* 2 *अगस्त,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

GMGIPMRND—1638LS(S3)—01-08-2017.

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**बुधवार, 2 अगस्त, 2017/11 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 239**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 241—245 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 246—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) वर्ष 2011-2012 से 2015-2016 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, नई दिल्ली के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन नियम, 2017, जो 10 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰338(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 333(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2017 का संख्यांक 33)—मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के चरण-III विस्तार परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2017, जो 17 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 262(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2017, जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2017, जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 645(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2017, जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2017 जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 844(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2017 जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 845(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) भारतीय टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(10) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत इंडियन टेलीग्राफ राईट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2017 जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2017 जो 7 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1133 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**4. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा ने 31 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को पारित संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधनों सहित पारित किया तथा इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

(दो) कि राज्य सभा 1 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 जुलाई, 2017 को पारित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**5. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया**

*संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017*

**6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

**7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**8. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने 'ग्रामीण/कृषि बैंकिंग और फसल बीमा की स्थिति' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**9. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित की गई कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 27वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2013-14)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंधी में समिति का 46वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 39वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 47वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'एमएसटीसी लिमिटेड का कार्यकरण' के बारे में कोयला

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2015-16)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 15वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(6) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 24वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(7) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 25वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(8) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 26वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(9) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 30वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

**10. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री जितेन्द्र चौधरी ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति के बारे में समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंध

(3) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 133वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 136वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

**11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(एक) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 294वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 296वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 12.06 बजे

**12. सदस्य द्वारा निवेदन**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध विशेषकर कर्नाटक में केन्द्रीय जांच

#श्री अरुण जेटली ने उत्तर दिया।

*(लोक सभा अपराह्न* 1.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराह्न 2.02 बजे

**13. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्रीमती रीती पाठक द्वारा अन्तिम खाद्य उत्पादों पर प्राप्त होने वाले लाभ में किसानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के बारे में।

(2) श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा डोकलाम में चीन के साथ सीमा गतिरोध के मद्देनजर सशस्त्र सैन्य बलों की रक्षा तैयारी की समीक्षा किए जाने और इस मुद्दे पर कूटनीतिक माध्यमों का भी इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हरीश मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राजौरगढ़ ग्राम पंचायत में बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री ओम बिरला द्वारा किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा जन धन बैंक खातों को बचत खातों में बदले जाने से पहले उपभोक्ताओं की सहमति लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा राजस्थान के झुन्झुनू जिले में कुम्भ राम लिफ्ट कैनाल परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लैंको विदर्भ थर्मल पॉवर स्टेशन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई के उद्देश्य

(9) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753बी के हिस्से की मरम्मत और पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में लम्बित रेल परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती अंजू बाला द्वारा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा जिले में कनहर बैराज परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में ऐतिहासिक मंदिरों और पर्यटक स्थलों के पुनरुद्धार के बारे में।

(14) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों हेतु न्यूनतम आयु सीमा को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा डॉ॰ राममनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा केरल में वेक्टर-जनित रोग फैलने के बारे में।

(18) श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा सूखा प्रभावित कर्नाटक को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्रीमती के॰ मरगथम द्वारा कपड़ा उत्पादों पर लगाए गए जीएसटी को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री पी॰आर॰ सुन्दरम द्वारा घरेलू कुक्कुट उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की

(22) प्रो॰ सौगत राय द्वारा स्कूल पाठ्यपुस्तकों में किए गए अनुशंसित परिवर्तनों के बारे में।

(23) श्री अरविंद सावंत द्वारा विमुद्रीकरण के बाद विमुद्रीकृत नोटों के मूल्यांकन के बारे में।

(24) श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष/डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में।

(27) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा भारतीय कंपनियों के स्वामित्व वाले विदेशी जलपोतों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन के बारे में।

अपराहन् 2.03 बजे

**14. (एक) सांविधिक संकल्प—वापस लिए गए;**

**(दो) सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 2 घंटे 43 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं—

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 3) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प।

(दो) केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2017

(तीन) एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प।

(चार) एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2017

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित केन्द्रीय माल और सेवा कर

श्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया—

> ''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।''

श्री अरुण जेटली ने एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जुगल किशोर शर्मा
2. डॉ॰ शशि थरूर
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. डॉ॰ जयकुमार जयवर्धन
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री आनंदराव अडसुल
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
9. श्री थुपस्तान छेवांग
10. श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी
11. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
12. श्री मोहम्मद सलीम

संख्यांक 3) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

(दो) विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(तीन) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पेश किया गया एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

(चार) विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन् 4.48 बजे

**#15. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन**

| | | |
|---|---|---|
| आवंटित समय | : | 2 घंटे |
| लिया गया समय | : | 1 घंटा 13 मिनट |
| शेष | : | 47 मिनट |

**#16. सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

*बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017*

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प तथा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ उदित राज
2. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन
3. श्री गौरव गोगोई
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
6. श्री आनंदराव अडसुल (उनका भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

*(लोक सभा गुरुवार, 3 अगस्त, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**गुरुवार, 3 अगस्त, 2017/12 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 240**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने श्री नर बहादुर भंडारी, आठवीं लोक सभा के सदस्य और श्री संतोष मोहन देव, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 261—263 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 264—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) टीएचडीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एनएचडीसी लिमिटेड तथा एनएचपीसी लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एनएचपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) का॰आ॰ 2211(अ) जो 13 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2155(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(6) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कामराजार पोर्ट लिमिटेड तथा पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1765(अ) जो 13 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2537(अ) जो 27 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 (बीरपुर-बिहपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 3067(अ) जो 27 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60क (पुरुलिया-बांकुड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के

(फतुहा–हरनौत–बाढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पाँच) का॰आ॰ 400(अ) जो 13 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60क (बांकुड़ा–पुरुलिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छ) का॰आ॰ 558(अ) जो 21 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया–हिसुआ–राजगीर–बिहार खरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन से उत्पन्न स्थिति में मध्यस्थता के प्रयोजन के लिए मध्यस्थ के रूप में उसमें उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 655(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया–हिसुआ–राजगीर–बिहार शरीफ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 863(अ) जो 17 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2537(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 1236(अ) जो 21 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 215(अ) और 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1391(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का॰आ॰ 1795(अ) जो 6 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60क (बांकुड़ा–पुरुलिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के

खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1217(अ) जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 (नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 31, 128 और 335) (अम्बेडकर नगर-रायबरेली बांदा खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1602(अ) जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 1633(अ) जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (जोधपुर-पचपदरा खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1807(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1952(अ) जो 20 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वूसल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 1964(अ) जो 21 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (राजस्थान/गुजरात सीमा-अहमदाबाद खंड) के उपयोगकर्त्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरों के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 1456(अ) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

और अनुरक्षण से संबंधित कार्य करने के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को निदेश दिया गया है।

(बीस) का॰आ॰ 450(अ) जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का॰आ॰ 651(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का॰आ॰ 766(अ) जो 7 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216क के उसमें उल्लिखित खंडों को सौंपा गया है।

(तेईस) का॰आ॰ 795(अ) जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰आ॰ 796(अ) जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसमें उल्लिखित खंडों एवं नए राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा गया है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 797(अ) जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसमें उल्लिखित खंडों एवं नए राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा गया है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 817(अ) जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 1017(अ) जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का॰आ॰ 1018(अ) जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसमें उल्लिखित खंडों एवं नए राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा गया है।

(तीस) का॰आ॰ 1373(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1421(अ) जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1423(अ) जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसमें उल्लिखित खंडों एवं नए राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा गया है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1424(अ) जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1425(अ) जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1426(अ) जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार और झारखंड राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसमें उल्लिखित खंडों एवं नए राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा गया है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 1452(अ) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2335(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1453(अ) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का॰आ॰ 1454(अ) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का॰आ॰ 1455(अ) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसमें उल्लिखित खंडों एवं नए राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपा गया है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1663(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का॰आ॰ 1664(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को खंडों एवं नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 107 को सौंपा गया है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 1694(अ) जो 26 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 30(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का॰आ॰ 1796(अ) जो 6 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 1797(अ) जो 6 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 1991(अ) जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1993(अ) जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(उनचास) का॰आ॰ 1994(अ) जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(पचास) का॰आ॰ 1995(अ) जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 2015(अ) जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(10) उपर्युक्त (9) की मद संख्या (एक) से (नौ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 121(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 120(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 14 मार्च, 2017 के

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 247(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 जो 121 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2017 जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 424(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2017 जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 423(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2017 जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 485(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) का॰आ॰ 1374(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कर्तव्यों के लिए वाहन के ऊपर बहुरंगी लाल, नीला और सफेद प्रकाश का प्रयोग करने के लिए वाहनों को अनुमति देने से संबंधित नियम 108 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 643(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) मोटर यान (ड्राइविंग) विनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 634(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) यू॰पी॰ प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू॰पी॰ प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 448(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति**

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री सुदीप बन्दोपाध्याय | 31.01.2017 से 09.02.2017<br>तथा<br>09.03.2017 से 12.04.2017 |
| (2) | श्री नापस पाल | 31.01.2017 से 09.02.2017<br>तथा<br>09.03.2017 से 24.03.2017 |
| (3) | श्री रामचन्द्र हाँसदा | 31.01.2017 से 09.02.2017 |

**6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का विवरण**

श्री प्रहलाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 'अनुदानों की मांगें (2016-17)' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**8. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'लंबित परियोजनाएं' विषय पर समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतिर्वष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'रेलवे में संरक्षा और सुरक्षा' विषय पर समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

**9. रेल संबंधी स्थायी समिति का विवरण**

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2016-17)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र

(एक) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतिर्वष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित 'जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार—जल निकायों का अतिक्रमण और अतिक्रमण हटाने के लिए अपेक्षित कदम तथा जल निकायों का जीर्णोद्धार' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**11. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव**

श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा से 18 अगस्त, 2017 को श्री डेरेक ओ' ब्रायन के अवकाश प्राप्त करने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति के बाबत राज्य सभा के एक सदस्य को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, राज्य सभा से 18 अगस्त, 2017 को सर्वश्री दिलीप भाई पांड्या, डेरेक ओ' ब्रायन और पी॰ भट्टाचार्य के अवकाश प्राप्त करने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के बाबत राज्य सभा के तीन सदस्यों को नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.31 बजे पुनः समवेत हुई)*

*अपराह्न 12.31 बजे

**13. सदस्य द्वारा निवेदन**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्वास और प्रतिकर के पर्याप्त प्रावधान किए बिना बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निवास कर रहे हजारो परिवारों को बलात् हटाने के कथित प्रयास किए जाने के बारे में निवदेन किया।

#श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.37 बजे

**14. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के बरौनी-बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रो-केमिकल कारखाने स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा देश में नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने

(3) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को नियंत्रित मूल्य तंत्र के अंतर्गत गैस प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री नाना पटोले द्वारा महाराष्ट्र एक्सप्रेस के यात्रियों के संबंध में दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के आदेश की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जनक राम द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मीरगंज में हथुआ चीनी मिल को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम में 14 नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ अंशुल वर्मा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रमेन डेका द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बारे में।

(9) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा अहमदाबाद में बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल द्वारा भावनगर और मुम्बई के बीच दैनिक विमान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री हुक्म सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश की नदियों में जल का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक जल-स्रोतों जलाशयों से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में गिरना नदी के मार्ग में जलाशयों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा दलित और अल्पसंख्यक समुदायों पर कथित हमलों के बारे में।

(14) श्री राजीव सातव द्वारा देश में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री पी॰ कुमार द्वारा लघु शस्त्रों के चार कारखानों का निजीकरण किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तमिरबरनी नदी की सफाई के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्रीमती रीता तराई द्वारा ओडिशा के जाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुखिन्डा रोड पर रोड ओवरब्रिज और बायरी रेलवे स्टेशन पर एक आरओबी/अंडर पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) कुंवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक ऑडीटोरियम का **निर्माण** किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा असम में कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.37 बजे

**#15. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत**

लिया गया समय : 2 घंटे 55 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा 2 अगस्त, 2017 को पेश किए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 4 मई, 2017 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है''।

चर्चा के पश्चात्, संकल्प पर मतदान हुआ और उसे अस्वीकृत किया गया।

**#16. सरकारी विधेयक—पारित**

*बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक,* 2017

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प तथा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री आनंदराव अडसुल (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव
3. श्री जितेन्द्र रेड्डी
4. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
5. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
6. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
7. श्री पी॰ करुणाकरन
8. श्री भगवंत मान
9. श्री अनिल शिरोले
10. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
13. श्री प्रेम दास राय
14. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

श्री अरुण जेटली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

अपराह्न 3.21 बजे

**#17. सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया**

लिया गया समय: 37 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्दन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई, 2017 को प्रख्यापित पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विचार) संशोधन अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

**#18. सरकारी विधेयक—पारित**

*पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक,* 2017

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प तथा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संतोख सिंह चौधरी
2. प्रो॰ सौगत राय
3. श्रीमती रीता तराई
4. श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा खान

श्री अरुण जेटली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

अपराह्न 3.58 बजे

**19. सरकारी विधेयक—पारित**

*राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक,* 2017

लिया गया समय: 3 घंटे 29 मिनट

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एंटो एन्टोनी
2. श्री ओम बिरला
3. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री के॰ परसुरमन
6. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
7. श्री एम॰ मुरली मोहन
8. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
9. श्री जितेन्द्र चौधरी
10. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
11. श्री रमेश बिधूड़ी
12. श्री विन्सेट एच॰ पाला
13. श्री शेर सिंह गुबाया
14. मोहम्मद बदरूद्दीन अजमल
15. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
16. डॉ॰ अरुण कुमार
17. श्री कौशलेन्द्र कुमार

21. श्री सी॰के॰ संगमा
22. श्री इदरिस अली
23. श्री लक्ष्मी नारायण यादव
24. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
25. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
26. श्री लखन लाल साहू
27. श्री भगवंत मान
28. श्री एम॰के॰ राघवन
29. श्री रमेश चन्द्र कौशिक

श्री संतोष कुमार गंगवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 से 13 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.27 बजे

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**शुक्रवार, 4 अगस्त, 2017/13 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 241**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराये जाने की 72वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण परमाणु विनाश के पीड़ितों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

**2. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 281—285 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 286—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**3. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.02 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/8/145/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टॉफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टॉफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 894(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टॉफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टॉफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 896(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण-एक, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण-दो, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 899(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ऋण वसूली अधिकरण-एक, बेंगलुरु (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण-एक, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) ऋण वसूली अधिकरण-दो, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 904(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) ऋण वसूली अधिकरण-एक, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) ऋण वसूली अधिकरण-तीन, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 907(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) ऋण वसूली अधिकरण, कटक (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 909(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) ऋण वसूली अधिकरण-एक, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 910(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) ऋण वसूली अधिकरण-दो, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) ऋण वसूली अधिकरण-तीन, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 912(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) ऋण वसूली अधिकरण-एक, एर्णाकुलम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 913(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 916(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) ऋण वसूली अधिकरण-एक, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 918(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) ऋण वसूली अधिकरण-दो, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 919(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) ऋण वसूली अधिकरण-तीन, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 920(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 921(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 922(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) ऋण वसूली अधिकरण-एक, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 923(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण-तीन, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 925(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 926(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण, पटना (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 927(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 928(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण, रांची (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 929(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापत्तनम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क की खामी) संशोधन नियम, 2017 जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 722(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 727(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय

(चार) सा॰का॰नि॰ 881(अ) जो 14 जुलाई 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 762(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 171/1993-सी॰शु॰ को निरस्त करना है एवं इसके परिणामस्वरूप उपहार आयातों पर कोई छूट नहीं होगी और इसके परिणामस्वरूप सदाशयी उपहारों पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी एवं लागू मूल सीमा शुल्क लगेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 763(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 151/1982-सी॰शु॰ को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 764(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्पेसीमेन, मॉडल्स, वाल पिक्चर्स और डायग्राम पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 765(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चल तस्वीरों, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 766(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दावा नहीं किए गए डाक आर्टिकल्स के पुर्नआयात पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे समेकित कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 767(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 100 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियों और पुस्तकों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक

ट्रॉफियों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसके निर्यात पर एकीकृत कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 769(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टैग्स और लेबेल्स या मरम्मत और लौटाने के लिए विदेशी मूल के आयातित छपे हुए थैलों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 770(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडियन एयरलाइन्स, यूनाइटेड अरब एयरलाइन्स और भारतीय वायुसेना द्वारा वायुयानों के टैंकों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 771(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उपराष्ट्रपति द्वारा आयातों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर एवं माल तथा सेवा प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 772(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बलों से संबंधित आयातों पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 773(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायुयान के इंजनों और कलपुर्जों के पुर्नआयात पर मूल सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा॰का॰नि॰ 774(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 जनवरी, 1957 की अधिसूचना सं॰ 3/57–सी॰शु॰

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 775(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भूटान और नेपाल से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा॰का॰नि॰ 776(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए चैलेंज कप, ट्राफियों और पदकों एवं पुरस्कारों आदि पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे समेकित कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 777(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007, 8 जनवरी, 1999 की 4/99 और 30 सितम्बर, 1994 की 172/1994 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा॰का॰नि॰ 778(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा, सुरक्षा, खिलाड़ियों आदि द्वारा पुर्नआयात, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों, आयातों से जुड़ी कतिपय छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 779(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति, वारंटी के अंतर्गत नि:शुल्क आपूर्ति की गई वस्तुओं, नि:शुल्क उपहारों, खैराती संगठनों आदि द्वारा अभिदान से जुड़ी विशिष्ट छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 780(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् शुल्क ड्रॉबैक, शुल्क में छूट या बॉण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुर्नआयात

(चौबीस) सा॰का॰नि॰ 781(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 94/1996–सी॰शु॰ का अधिक्रमण करना है ताकि 30 जून, 2017 को या उसके पूर्व शुल्क ड्रॉ बैक, शुल्क में छूट या बॉण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुनर्आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे एकीकृत कर और माल एवं सेवा प्रतिकर उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा॰का॰नि॰ 782(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय शुल्क ड्रॉ बैक, शुल्क में छूट या बॉण्ड के अधीन निर्यातित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत वस्तुओं के पुनर्आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा॰का॰नि॰ 783(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कैटरिंग केबिन इक्यिपमेंट आदि के पुनर्आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना और एकीकृत कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा॰का॰नि॰ 784(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत शामिल वस्तुओं पर एसएडी से मिली छूट को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा॰का॰नि॰ 785(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 17.03.2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012–सी॰शु॰ का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनत्तीस) सा॰का॰नि॰ 786(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं॰ 21/2012–सी॰श॰ का अधिक्रमण

(तीस) सा॰का॰नि॰ 787(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, के अध्याय 27 की मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क की प्रभावी दर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा॰का॰नि॰ 788(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलएनजी एवं प्राकृतिक गैस पर विशेष अतिरिक्त शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा॰का॰नि॰ 789(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी पर शिक्षा उपकर तथा वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा॰का॰नि॰ 790(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी पर सेकेंडरी और उच्च्तर शिक्षा उपकर तथा वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखिल अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 755(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दस अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 931(अ) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिमय, 1944 के अंतर्गत जारी क्षेत्र आधारित छूट से जुड़ी छह अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 791(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर में शामिल वस्तुओं को छूट प्रदान करने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 792(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके आधिकारिक उपयोग की उत्पाद शुल्क युक्त वस्तुओं की आपूर्ति से छूट देने के लिए अधिसूचना सं॰ 108/95–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 793(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल, ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिश्रित एचएसडी, जैव डीजल एविएशन टर्बाइन ईंधन, एलएनजी और प्राकृतिक गैस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निर्धारित करने के लिए अधिसूचना सं॰ 12/2012–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 794(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 2017 को या इसके पूर्व विनिर्मित वस्तुओं परंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व उत्पादन कारखाने से नहीं भेजी गई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 795(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारतीय नौसेना और तट रक्षक को वैसेल पर उपभोग के लिए भंडारों के रुप में आपूर्ति किए गए सिगरेट और पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट जारी रखने के लिए अधिसूचना सं॰ 64/95–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

छुटों को सीमित करने के लिए इन अधिसूचनाओं में संशोधन करना तथा अधिसूचना सं॰ 38/2004-के॰उ॰शु॰, 62/2008-के॰उ॰शु॰ और 21/2009-के॰उ॰शु॰ में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ''उपयुक्त उत्पाद शुल्कों'' शब्दों को ''उपयुक्त केन्द्रीय कर, राज्यकर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर'' शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 823(अ) जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना सं॰ 28/2002के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 954(अ) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना सं॰ 131/2016-सी॰शु॰(एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग (संशोधन) प्रक्रिया, 2017 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 447(अ) में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 938(अ) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय किसी गैर रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो पुराने सामानों की खरीद और विक्रय का काम करता हो और ऐसे पुराने सामान पर केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अंतर्गत यथाअवधारित विक्रय और खरीद मूल्य के बीच के अंतर की राशि पर

(9) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 878(अ) जो 13 जुलाई, 2017 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं॰ 36/2012-सी॰शु॰, (एडीडी) के अंतर्गत थाईलैंड और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भत अथवा वहां निर्यातित अथवा वहां से निर्यातित ''ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर)'' के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है और उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाने की अनुशंसा की थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰625(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰647(अ) जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह विहित करना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अधिनिक था, सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में रजिस्टीकृत कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 50 लाख से अनधिक था, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सम्मिलित उद्ग्रहण का पात्र होगा। इसके अलावा, अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत यदि ऐसा व्यक्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उद्ग्रहण का विकल्प चुने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युक्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात तंबाकू और

जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अनधिक था, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पटित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इसके अलावा, अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत यदि व्यक्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उद्ग्रहण का विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युक्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

(13) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 538 (अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) संशोधन नियम, 2017 जो 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 347(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) धारा 115जेबी के विशेष उपबंधों के अधीन कतिपय कंपनियों द्वारा कर के भुगतान के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ

(16) (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 29 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2017-18/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 635(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति और मुद्रा नीति प्रक्रिया विनियम, 2016 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एमपीडीपीएमडी सं॰ 17/02.02.02.015/17-18 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्वामी चिन्मयानंद की जन्म शताब्दी स्मृति के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रुपये और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2015 जो 30 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 335(अ)

13 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 381(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पचास रुपये और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2015 जो 12 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन की 125वीं जयंती के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पच्चीस रुपये और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2015 जो 25 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 512(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) ''भारत पाक युद्ध 1965 की स्वर्ण जयंती'' के स्मरण हेतु निर्मित पचास रुपये और पाँच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2015 जो 28 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 667(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के स्मरण हेतु निर्मित पांच सौ रुपए और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2015 जो 21 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) डॉ॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर के 125वें जन्म वर्षगांठ के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पच्चीस रुपए और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2015 जो 29 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 815(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रुपए और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2015 जो 9 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 947(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृन्दावन आगमन के 500वें वर्षगांठ के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित पांच सौ रुपए और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2016 जो 28 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 116(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150वें वर्षगांठ के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ पचास रुपए और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2016 जो 24 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 191(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) ''बीजू पटनायक के 100वें जन्म वर्षगांठ'' के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रुपए और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2016 जो 17 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 172(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125वें वर्षगांठ के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित सिक्कों को जारी करने संबंधी नियम, 2016 जो 26 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित सिक्कों को जारी करने संबंधी नियम, 2016 जो 11 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 292(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित सिक्कों को जारी करने संबंधी नियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 825(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के अवसर के स्मरण हेतु सिक्कों को जारी करने संबंधी नियम, 2016 जो 31अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 836 (अ) में प्रकाशित हुए हुए थे।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2017 जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 307(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2017 जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 309(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2017 जो 10 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) संशोधन नियम, 2017 जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 355(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (समझौता, व्यवस्था और आमेलन) संशोधन नियम, 2017 जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 368(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2017 जो 11 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 454(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 621(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (लम्बित कार्यवाहियों का अंतरण) संशोधन नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 732(अ)

(दस) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (संशोधन) नियम, 2017 जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 840 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 308 (अ) जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 2113 (अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(25) उपर्युक्त (24) की मद सं॰ (एक) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 582 (अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 463 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 583 (अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 464 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा 13 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2218(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र।

(27) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (2) के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2042(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) वर्ष 2015-16 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से लिए गए उधार के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुपालन लेखा परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 18) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(32) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) गार्डन रीच शिबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा मंत्रालय के बीच

**5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) वित्त मंत्री कार्पोरेट कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री ने आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं और डीआईपीएएम विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के आयोजन के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

**6. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

**7. केन्द्रीय नि:शक्तता सलाहकार बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

डॉ॰ थावरचंद गहलोत ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा(2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा के अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय नि:शक्तता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**8. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्रीमति स्मृति जुबिन ईरानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

सदस्यों के रूप में सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.20 बजे

**9. सदस्य द्वारा निवेदन**

श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने सरकार द्वारा प्रायोजित चालू स्कीमों पर माल और सेवा कर से छूट की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

#श्री अरुण जेटली ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.24 बजे

**10. सरकारी विधेयक — पारित**

*भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक,* 2017

लिया गया समय: 2 घंटे 23 मिनट

श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. डॉ॰ हरि बाबू कंभमपति
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री जी॰ हरि
6. श्री अरविन्द गणपत सावंत
7. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव

10. श्री वाई॰बी॰ सुब्बा रेड्डी
11. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
12. श्री जल प्रकाश नारायण यादव
13. श्री दुष्यंत चौटाला
14. श्री राघव लखनपाल
15. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
16. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे॰ (नाग)
17. श्री कौशलेन्द्र कुमार
18. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील
19. श्री भगवंत मान
20. डॉ॰ अरुण कुमार
21. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
22. श्री रविन्दर कुशवाहा
23. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 37 से 45 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

%अपराह्न 3.11 बजे

**11. सदस्यों द्वारा निवेदन**

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने एशियाई स्वर्ण पदक विजेता सुश्री पी॰यू॰ चित्रा को लंदन में विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारत के 24 सदस्यीय दल की सूची से बाहर किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी सहयोजित हुए।

@श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 3.36 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

---

**दिनांक 03.08.2017 के**
**समाचार भाग-1 सं॰ 240**
**का शुद्धिपत्र**

पृष्ठ 17, क्रम सं॰ 11, श्री जय प्रकाश नारायण यादव **के पश्चात्**

क्रम सं॰ 12, श्री कौशलेन्द्र कुमार **जोड़ें**।

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**मंगलवार, 8 अगस्त, 2017/17 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 242**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने मैक्सिको की कांग्रेस के डिप्टियों के चैम्बर की प्रेजीडेंट, महामहिम सुश्री मारिया गौडालुपे मुर्गाइया गुटीरेज और मैक्सिको के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों, जो सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, का स्वागत करते हुए घोषणा की।

#पूर्वाह्न 11.04 बजे

**2. सदस्यों द्वारा निवेदन**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और %श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने गुजरात में एक दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष पर कथित हमले के बारे में निवेदन किया।

*श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

$श्री अनंत कुमार ने भी उत्तर दिया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.30 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.01 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

**3. प्रश्न**

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्न सभा में मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिए जा सके। इसलिए आज की कार्य-सूची में शामिल तारांकित प्रश्न सं॰ 301—320 को अतारांकित माना गया और इनके उत्तर अतारांकित प्रश्न सं॰ 3451—3680 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

**4. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**बारहवीं लोक सभा**

1. विवरण संख्या 44 — चौथा सत्र, 1999

**तेरहवीं लोक सभा**

2. विवरण संख्या 36 — बारहवां सत्र, 2003

**चौदहवीं लोक सभा**

3. विवरण संख्या 26 — आठवां सत्र, 2006

| | | |
|---|---|---|
| 7. | विवरण संख्या 30 | तेरहवां सत्र, 2008 |
| 8. | विवरण संख्या 28 | चौदहवां सत्र, 2008 |

**पन्द्रहवीं लोक सभा**

| | | |
|---|---|---|
| 9. | विवरण संख्या 31 | दूसरा सत्र, 2009 |
| 10. | विवरण संख्या 26 | तीसरा सत्र, 2009 |
| 11. | विवरण संख्या 26 | चौथा सत्र, 2010 |
| 12. | विवरण संख्या 25 | पांचवां सत्र, 2010 |
| 13. | विवरण संख्या 25 | छठां सत्र, 2010 |
| 14. | विवरण संख्या 22 | सातवां सत्र, 2011 |
| 15. | विवरण संख्या 23 | आठवां सत्र, 2011 |
| 16. | विवरण संख्या 22 | नौवां सत्र, 2011 |
| 17. | विवरण संख्या 21 | दसवां सत्र, 2012 |
| 18. | विवरण संख्या 19 | ग्यारहवां सत्र, 2012 |
| 19. | विवरण संख्या 18 | बारहवां सत्र, 2012 |
| 20. | विवरण संख्या 17 | तेरहवां सत्र, 2013 |
| 21. | विवरण संख्या 14 | चौदहवां सत्र, 2013 |
| 22. | विवरण संख्या 13 | पन्द्रहवां सत्र, 2013-14 |

**सोलहवीं लोक सभा**

| | | |
|---|---|---|
| 23. | विवरण संख्या 12 | दूसरा सत्र, 2014 |
| 24. | विवरण संख्या 11 | तीसरा सत्र, 2014 |
| 25. | विवरण संख्या 10 | चौथा सत्र, 2015 |
| 26. | विवरण संख्या 8 | पांचवां सत्र, 2015 |
| 27. | विवरण संख्या 7 | छठा सत्र, 2015 |
| 28. | विवरण संख्या 5 | सातवां सत्र, 2016 |
| 29. | विवरण संख्या 5 | आठवां सत्र, 2016 |

(4) पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2008-2009 से 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त (वरिष्ठ शोध अधिकारी) भर्ती नियम, 2017, जो 7 जुलाई, 2017 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 13/20/99/गृह(पी)/स्थापना/1641-1644 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2009-2010 से 2011-2012 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) नाशक कीट और नाशक जीवन अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2017, जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2152(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(12) जम्मू-कश्मीर हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1997-1998 से 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2315(अ) जो 25 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सिटी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं, जो उसमें उल्लिखित हैं, को किसानों को बड़ी मात्रा में सिटी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2017 जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1444(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का॰आ॰ 1445(अ) जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में आयात किए जाने वाले उर्वरकों के संबंध में विशिष्टताओं, जो उसमें उल्लिखित हैं, को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 1446(अ) जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

(पांच) का॰आ॰ 1447(अ) जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 997(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(14) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड ड्राफ्ट्समैन कैडर समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 153 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल, सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) और हैड कांस्टेबल (अनुसचिवीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 6 मई, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 151 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड ड्राफ्ट्समैन कैडर समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 189 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड सहायक उप-निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' गैर-राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 188 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड पैरा-मेडिकल स्टाफ समूह 'ख' गैर-राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 186 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड पैरा-मेडिकल स्टाफ समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 185 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड मोटर ट्रांसपोर्ट एवं मैकेनिक कैडर (गैर-राजपत्रित) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 155 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड पैरा-वेटरनरी (गैर-राजपत्रित) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 184 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ड्राइवर) समूह 'ग' भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 4 मार्च, के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 60 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कम्युनिकेशन कैडर समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 171 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यूटी) सैकेंड-इन-कमांड, डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट समूह 'क' भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड (राजपत्रित) अनुसचिवीय और निजी सचिव संवर्ग समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 498(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यॅटी) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड चिकित्सा संवर्ग (गैर-व्यवसायी) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 8 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 229 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड निरीक्षक (पशु-चिकित्सा) अराजपत्रित समूह 'ख' पैरा-पशु चिकित्सा संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 190 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड (अराजपत्रित) पायोनियर संवर्ग, पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 154 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सशस्त्र सीमा बल, समूह 'क' कम्बैटाइज्ड इंजीनियरी संवर्ग पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 837(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड कवच संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 182 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड (अराजपत्रित) पैरा-पशु चिकित्सा भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 18 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 187 में प्रकाशित हुए थे।

(15) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा सुरक्षा बल, सहायक समादेष्टा (राजभाषा) समूह 'क' योद्धक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 19 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र

2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 934(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल, (योद्धक अनुसचिवीय संवर्ग) समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017, जो 19 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 935(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम और सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 जो 15 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 591(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र जो 21 जुलाई, 2017 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 939(अ) में (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हता को मान्यता दिए जाने और उनकी मान्यता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया) नियम, 2017 जो 22 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 489(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 456(अ) जो 12 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1985 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(19) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 48 के अंतर्गत एनडीडीबी

(20) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) सांभर साल्ट्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पाँच) बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इं) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(21) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2017 का संख्यांक 29)—बीएचईएल की प्रतिस्पर्धिता के बारे में कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पाँच) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1345(अ) जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह आदेश दिया गया है जिसमें खरीफ, 2017 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाई गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) भारतीय खाद्य निगम और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**5. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा, 3 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 2017 को पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**6. भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन**

महासचिव ने 17 से 21 अक्तूबर, 2015 तक जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में अंतरसंसदीय संघ की 133वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन, हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, सभा पटल पर रखा।

**7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई-संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा—

(एक) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'व्यापार करने में सुविधा' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 127वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 130वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017-18) (मांग सं॰ 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 132वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री ने गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री की ओर से गृह मंत्रालय से संबंधित तटवर्ती सुरक्षा स्कीम संबंधी समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की कई कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 187वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मात्सियिकी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'चारा और फीड विकास संबंधी उपमिशन के माध्यम से चारा की मांग और उपलब्धता के बीच की खाई पाटने के लिए उठाए गए कदम' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी संबंधी के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी

संबंधी स्थायी समिति के 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(6) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा—

(एक) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो रसायन निवेश परिक्षेत्र (पीसीपीआईआर)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वायत्त संस्थाओं का कार्यकरण–केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(7) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2017–18) पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

**8. लोक लेखा समिति (2017–18) के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव**

श्री निशिकान्त दुबे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 28 जुलाई, 2017 को

लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**9. नारियल विकास बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्री राधा मोहन सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि नारियल विकास बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 4(1) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.10 बजे

**10. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों की बाड़बंदी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा रांची-टोरी गाड़ी सं॰ 58653/58654 के फेरों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने और उसे गढ़वा रोड तक चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

3. श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा बाढ़ के दौरान जानवरों को आश्रय प्रदान करने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तथा पोबीटोरा वन्य जीव अभयारण्य में ऊंचे प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

4. प्रो॰ रिचर्ड हे द्वारा देश में एक साइबर सिक्यूरिटी अथॉरिटी स्थापित किए जाने की

6. श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में विभिन्न पुरानी और चालू परियोजनाओं हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

7. श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिए आवासीय कॉलोनियों व बहुमंजिली इमारतों के परिसरों में तालाब का प्रावधान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समयबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

9. श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में कौशल विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

10. डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा 'ब्ल्यू व्हेल' नामक साइबर गेम पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में।

11. श्री कीर्ति आजाद द्वारा बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक टेरशियरी कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात के सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों को स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आरक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

13. श्री भैरों प्रसाद मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अस्पतालों में कैंसर का इलाज करने के लिए पृथक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

14. डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा भारत सरकार और नागालैण्ड के एनएससीएन (आईएन) के बीच हुए समझौते के ब्यौरे के बारे में।

15. श्री के॰ परसुरमन द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुद्रा योजना के क्रियान्वयन के बारे में।

16. डॉ॰ के॰ गोपाल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम के भुगतान

18. श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के मलकानगिरी में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा मुंबई विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर बसी झोपड़पट्टी के पुनर्वास के लिए समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा केरल के पालक्काड में एक नया रेल कोच कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा 'दिशा' समिति के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक नया सैनिक स्कूल खोले जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.10 बजे

**11. सांविधिक संकल्प**

श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, सभा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 56/2017-सीमाशुल्क [सा॰का॰नि॰ 797(अ) दिनांक 30 जून, 2017] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर आधारित सीमाशुल्क शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना है, का अनुमोदन करती है—

| क्रम सं॰ | टैरिफ मद | विवरण |
|---|---|---|

| क्रम सं॰ | टैरिफ मद | विवरण |
|---|---|---|
| 2. | 8443 99 51 | प्रिंट हेड असेम्बली सहित इंक काट्रिज |
| 3. | 8443 99 52 | प्रिंट हेड असेम्बली रहित इंक काट्रिज |
| 4. | 8443 99 53 | इंक स्प्रे नोजल |
| 5. | 8517 12 10 | सेल्यूलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप को छोड़कर) |
| 6. | 8517 12 90 | सेल्यूलर नेटवर्क अथवा अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन (पुश बटन टाइप को छोड़कर) |
| 7. | 8517 61 00 | बेस स्टेशन |
| 8. | 8517 70 90 | सघन, भारित अथवा भरे हुए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अलावा टैरिफ शीर्ष 8517 के अधीन वस्तुओं के पुर्जे।'' |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.20 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**बुधवार, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 243**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष ने सेशेल्स की नेशनल असेम्बली के स्पीकर माननीय पैट्रिक पिल्लै और सेशेल्स गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों, जो सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, का स्वागत करते हुए घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

**2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख**

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त, 1942 को प्रारंभ किए गए 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और राष्ट्रपिता एवं स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्यगण शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

**3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

के लिए निर्धारित है परंतु सदस्यों की भावनाओं से जुड़े इस विशेष अवसर को ध्यान में रखते हुए हम एक चर्चा प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य इस दिन को विशेष अवसर के रूप में यादगार बनाने के लिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे।''

पूर्वाह्न 11.05 बजे

**4. अध्यक्ष द्वारा संबोधन**

अध्यक्ष ने नियम 360 के अंतर्गत सभा को संबोधित किया।@

पूर्वाह्न 11.21 बजे

**5. भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष चर्चा**

लिया गया समय: 2 घंटे 03 मिनट

श्री नरेन्द्र मोदी ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:—

1. श्रीमती सोनिया गांधी
2. डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै
3. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस
4. श्री आनंदराव अडसुल
5. श्री थोटा नरसिम्हम
6. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

*7. श्रीमती रमा देवी

*8. श्री प्रेम दास राई

*9. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*10. श्री विजय कुमार हांसदाक

*11. श्री अजय मिश्रा टेनी

*12. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

*14. श्री जोस के॰ मणि

15. श्री पी॰ करुणाकरन

16. श्री तथागत सत्पथी

*17. कुंवर हरिवंश सिंह

18. श्री एच॰डी॰ देवगौडा

*19. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*20. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

*21. डॉ॰ अरूण कुमार

*22. श्री पी॰आर॰ सुंदरम

*23. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

24. श्री बलभद्र माझी

*25. श्री मेकापति राजामोहन रेड्डी

*26. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता

*27. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

*28. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

*29. श्री अश्विनी कुमार चौबे

अपराह्न 1.22 बजे

**[$]6. संकल्प — स्वीकृत हुआ**

अध्यक्ष ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभा के समक्ष एक संकल्प रखा जिसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

अपराह्न 1.24 बजे

**7. निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री सांवर लाल जाट के निधन के बारे में उल्लेख किया।

**8. प्रश्न**

चूंकि, सभा विशेष चर्चा और निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। इसलिए, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 321-340 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3681-3910 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

अपराह्न 1.26 बजे

*( लोक सभा गुरुवार,* 10 *अगस्त,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**गुरुवार, 10 अगस्त, 2017/19 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 244**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 341—344 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 345—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 19 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 936(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत, मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को ऋणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2017 का संख्यांक 34)—अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के

(8) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(9) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 2017 जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 963(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (11वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-1/2014-एएंडपी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (12वां संशोधन) विनियम, 2017 जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5-1/2014-एएंडपी में प्रकाशित हुए थे।

(12) उपर्युक्त (11) की मद सं॰ (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के 1 अप्रैल, 2017 से बंद किए जाने से संबंधित अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ क्यू॰/11017/08/2016-ओआईए-I जो 20 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(16) (एक) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (सतत निर्वहन प्रमाण-पत्र) नियम, 2017 जो 17 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 883(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 की

हुआ था, तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 491(अ) और का॰आ॰ 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 974(अ) जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत इसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में उसमें उल्लिखित सीमाओं और अधिकारिता के भीतर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1054(अ) जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत इसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित सीमाओं और अधिकारिता के भीतर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार और मुख्य संपदा अधिकारी, जिला प्रशासन विभाग, ईटानगर के लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1379(अ) जो 2 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत इसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित सीमाओं और अधिकारिता के भीतर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1422(अ) जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत इसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट

(छह) का॰आ॰ 1992(अ) जो 23 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अंतर्गत इसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में, उसमें उल्लिखित सीमाओं और अधिकारिता के भीतर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सीमा सड़क संगठन के कमांडर की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(20) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(21) यान-हरण अधिनियम, 2016 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत यान-हरण नियम, 2017 जो 5 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 828(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अन्तर्गत मध्यावधि व्यय ढ़ांचा विवरण 2017-18 (अगस्त, 2017) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के खंड 10(1)(त) के अंतर्गत जारी और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के अनुसरण में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3509(अ) जो 23 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिनमें इलेक्ट्रानिकी अनुसूची और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा) आदेश, 2012 के आईएस 16333 (भाग-3) के अनुसार मोबाइल फोनों के लिए भारतीय भाषा सपोर्ट को अधिदेशित करने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आधार (पंजीकरण और अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 1) जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई (2017 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आधार (पंजीकरण और अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017

(तीन) आधार (पंजीकरण और अद्यतन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का 3) जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ 13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई (2017 का संख्यांक 3) में प्रकाशित हुए थे।

(31) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 के अंतर्गत आधार (कठिनाई निवारण) आदेश, 2016 जो 12 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2923(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 46वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

**5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश**

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की क्रमशः 10.4.2017 और 1.8.2017 को हुई आठवीं और नौंवी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ रमेश पोखरियाल ''निशंक'' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 63वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 64वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

(3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 65वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 66वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

**9. रेल अभिसमय समिति**

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया:—

(1) 'मानव रहित लेवल क्रासिंग पर सुरक्षा के प्रावधान' के बारे में 15वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'रेल पटरी स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण' के बारे में 16वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

**10. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

एडवोकेट नरेन्द्र सावईकर ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

(2) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन बनाए गए नियमों/विनियमों के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(3) कानूनी आदेशों की जांच के आधार पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 22वां प्रतिवेदन।

(4) ई-वेस्ट प्रबंध के बारे में 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का 23वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

**11. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 'सेवाओं में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ का प्रतिनिधित्व और उनकी शिकायतों का निवारण और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक द्वारा अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ को दी जा रही ऋण सुविधाएं' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन।

(3) 'आरक्षण नीति का कार्यान्वयन और गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के हित की रक्षा के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन और संपर्क अधिकारियों का कार्यकरण' के बारे में 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन।

**12. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री सत्यपाल सिंह ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक स्थितियों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर आधारित बृहत् कृषि अनुसंधान' विषय पर 39वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'ग्रामीण गोदाम स्कीम के माध्यम से ग्रामीण भंडारण अवसंरचना बढ़ाना' विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेरी और मात्सियकी विभाग) से संबंधित 'चारा उपमिशन और चारा विकास के माध्यम से चारा की मांग और उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने हेतु उठाए गए कदम विषय पर स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

(1) 'वर्तमान प्रणाली की बजाय गैर-व्यपगत पूंजी निधि खाता का सृजन' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 32वां प्रतिवेदन।

(2) 'भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्व्यवस्थापन' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन।

(3) 'सशस्त्र बलों के लिए दंत चिकित्सा सेवा सहित चिकित्सा सेवा का उपबंध' के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 34वां प्रतिवेदन।

**14. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों से संबंधित 26वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय विद्युत नीति-एक समीक्षा के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

**15. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री जे॰ सी॰ दिवाकर रेड्डी ने 'लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का कंप्यूटरीकरण' विषय पर उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतविष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**16. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री राजेश कुमार दिवाकर ने ''उपकर निधियां और कामगारों के कल्याण के लिए उनका उपयोग'' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**18. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 'मुद्रा निदेशालय, भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय और प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण' के बारे में 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(3) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

**19. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री हुकुम सिंह ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) का निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(2) 'जल संरक्षण के स्वदेशी और आधुनिक स्वरूप-तकनीक और पद्धति' के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(3) 'अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017' के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

**20. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री हुकुम सिंह ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:

5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित 11वें प्रतिवेदन (एटीआर) में टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों से संबंधित 12वें प्रतिवेदन (एटीआर) टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

**21. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन**

श्रीमती अंजू बाला ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय' (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2017-2018' के संबंध में 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 36वां प्रतिवदेन।

(2) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय' (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2017-2018' के संबंध में 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 37वां प्रतिवदेन।

(3) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय' (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2017-2018' के संबंध में 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(4) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय' (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'सिटी कंपोस्ट के संवर्धन संबंधी नीति का कार्यान्वयन' विषय पर समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

**22. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का की-गई-कार्यवाही विवरण**

सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तरों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**23. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री राकेश सिंह ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) खान मंत्रालय से संबंधित ''खनन क्षेत्र में कौशल विकास'' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 32वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन।

(3) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 34वां प्रतिवेदन।

**24. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 36वां प्रतिवेदन पर 44वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 37वां प्रतिवेदन पर 45वां की-गई-

(4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की मांगों (2017-18) के बारे में 39वां प्रतिवेदन पर 47वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

**25. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों 2016-17' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति (2016-17) के 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2016-17' के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति (2016-17) के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'शराब और नशीला पदार्थ व्यसन से दुष्प्रभावित व्यक्ति, उनका उपचार/पुनर्वास और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति (2016-17) के 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों'—2016-17 के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति (2016-17) के 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार

कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति (2016-17) के 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट स्फिारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

**26. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी ने विभाग से संबंद्ध उद्योग संबंधी समिति की भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों के (2017-18) के बारे में समिति के 282वें प्रतिवेदन के सबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी 283वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

**27. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री हरीश चन्द्र मीना ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में इसके 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 251वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में इसके 246वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 252वां प्रतिवेदन।

(3) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में इसके 247वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 253वां प्रतिवेदन।

**28. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

**29. कार्मिक, लेखा शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने ''केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल सेवकों का मूल्यांकन और पैनल बनाना'' विषय पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 92वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**30. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) अखिल भारतीय रेलवे खान-पान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन (एबीआरकेपीएलडब्ल्यूए) से अभ्यावेदनों के बारे में श्री शंकर प्रसाद दत्ता, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1630 के 26 जुलाई, 2017 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'विदेशों में रहने वाले भारतीय कामगारों की सूची' के बारे में श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 475 के 19 जुलाई, 2017 को दिए गए उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और विज्ञान विभाग में राज्य मंत्री की ओर से उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 200वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा

मंत्रालय से संबंधित 'ग्रामीण गोदामों की योजना के माध्यम से ग्रामीण भंडारण अवसंरचना का आवर्धन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(6) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन के बाद बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण' के बारे में समिति के 182वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(7) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.16 बजे

**31. अध्यक्ष द्वारा बधाई**

अध्यक्ष ने 6 अगस्त, 2017 को इंग्लैण्ड के केंट में ब्रांड्स हैच ग्रैंड प्रिक्स सर्किट में रेस 2 जीतने और बीआरडीसी ब्रिटिश फार्मूला एफ 3 चैंपियनशिप में पोल पोजीशन हासिल करने के लिए कृष्णराज महाडिक को सभा की ओर से बधाई दी।

*अपराह्न 12.19 बजे

**32. ध्यानाकर्षण**

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी** की:—

''माननीय सदस्यगण, श्री नीनोंग इरिंग के नाम से एक ध्यानाकर्षण सूचीबद्ध है और श्री इरिंग ने मुझसे अनुरोध किया है कि गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री गौरव गोगोई को अनुमति दी जाए। विशेष मामले के रूप में मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

तद्नुसार, श्री गौरव गोगोई ने देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्याओं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

गृह मंत्री की ओर से गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य दिया। उन्होंने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक संबंधी प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

**%33. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*राष्ट्रीय खेल-कूद विश्वविद्यालय विधेयक,* 2017

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 1.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.17 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.17 बजे

**34. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा शहर के बाइपास सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान में जालौर-अहोर सड़क पर समपार संख्या सी-48 पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर और कानपुर देहात जिलों में प्रधान मंत्री उज्जवला योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा असम के कद्दार पेपर मिल और नगांव पेपन मिल को दुबारा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के बेगूसराय-बरौनी औद्यागिक क्षेत्र में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रामेश्वर तेली द्वारा विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों और प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं की संख्या कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हुकुम सिंह द्वारा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से पानीपत–मुजफ्फरनगर मार्ग पर टोल टैक्स समाप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के रेरा गांव में एक जवाहर नवोदय विद्यालय अथवा केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले में एक कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती अंजू बाला द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) एडवोकेट नरेंद्र केशव सावईकर द्वारा एक स्वतंत्र भारतीय फिजियोथिरेपी पदिषद गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा महाराष्ट्र की दहानू तहसील के लिए एक नई पर्यावरण संरक्षण समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) का परिसर खोले जाने के बारे में।

(16) श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल द्वारा केरल के अलप्पुझा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में करुणागपल्ली और कायमकुलम रेलवे स्टेशनों पर रेल संबंधी आधारभूत ढांचे का उन्नयन किए जाने के बारे में।

(17) श्री एम॰ के॰ राघवन द्वारा केरल में कालीकट पोर्ट का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू द्वारा तमिलनाडु के कामराजर पोर्ट लिमिटेड के विनिवेश

(20) डॉ॰ रत्ना डे नाग द्वारा देश में भेषज उद्योग में अनुसंधान कार्यकलापों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के विनिवेश के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा थेलासीमाया पर राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री किन्जारापु राम मोहन नायडू द्वारा देश में सामुद्रिक अनुसंधान पर बल दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री कुँवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांस्कृतिक और खेल संबंधी कार्यकलापों के लिए एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमपीलैड परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में।

(26) श्री प्रेम दास राई द्वारा गोरखालैंड आंदोलन/अलग गोरखालैंड राज्य की मांग के स्थायी समाधान के बारे में।

(27) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 02.19 बजे

**35. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक,* 2017

लिया गया समय : 2 घंटे 31 मिनट

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया:—

2. श्री शिवकुमार चनाबसप्पा उदासी
3. श्री गोपालकृष्णन चिन्नाराज
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री आनन्दराव अडसुल
7. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़
8. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
9. श्रीमती बुत्ता रेणुका
10. श्री अधीर रंजन चौधरी
11. श्री अभिषेक सिंह
12. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पांडुला
13. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
14. डॉ॰ अरुण कुमार
15. श्री भगवंत मान
16. श्री कौशलेन्द्र कुमार
17. श्री दुष्यंत चौटाला
18. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
19. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
20. श्री धर्मवीर गांधी
21. श्री जोस॰के॰ मणि
22. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
23. श्री (एडवोकेट) जोएस जार्ज
24. श्री गौरव गोगोई

खंड 2 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 4.50 बजे

**36. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*(एक) मजदूरी संहिता,* 2017

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मजदूरी संहिता, 2017 को पुर:स्थापित किए जाने के लिए सभा की अनुमति चाही।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 5.05 बजे

*(दो) वित्तीय संकल्प और निक्षेप बीमा विधेयक,* 2017

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

> ''माननीय सदस्यगण, वित्तीय संकल्प और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 को पुर:स्थापन हेतु लिए जाने के पूर्व मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री ने 10 अगस्त, 2017 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने वित्तीय संकल्प और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 274 (1) के अंतर्गत विधेयक को लोक सभा में पुर:स्थापित किए

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री अरुण जेटली की ओर से वित्तीय संकल्प और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित किए जाने के लिए सभा की अनुमति चाही।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 5.08 बजे

**37. दोनों सभाओं की संयुक्त समिति नियुक्त किए जाने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत**

लिया गया समय : 21 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री अरुण जेटली की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

> ''कि करस्थम् में वित्तीय सेवा प्रदाता के कतिपय प्रवर्गों; वित्तीय सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों के उपभोक्ता को निक्षेप बीमा; प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था को अभिहित करना; और विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए समाधान निगम की स्थापना तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और आघात सहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए लोक निधि के लिए समाधान के लिए तथा उनसे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा से 20 सदस्य होंगे, अर्थात्:—
>
> 1. डॉ॰ किरीट सोमैया
> 2. श्री गोपाल शेट्टी
> 3. श्री सुभाष बहेड़िया
> 4. श्री निशिकांत दुबे
> 5. श्री शिवकुमार सी॰ उदासि
> 6. श्री अनिल शिरोले

10. श्री जगदम्बिका पाल
11. श्री जैदेव गल्ला
12. श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
13. श्री चिराग पासवान
14. श्री गौरव गोगोई
15. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमेगौड़ा
16. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
17. प्रो॰ सौगत राय
18. श्री भर्तृहरि महताब
19. श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी
20. श्री पी॰ करुणाकरन

और राज्य सभा से 10 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठन हेतु गणपूर्ति, संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सहयोजित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दे।''

निम्नलिखित सदस्यों ने निवेदन किए:—

1. श्री भर्तृहरि महताब

@श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात् प्रस्ताव पर मतदान हुआ और स्वीकृत हुआ।

&अपराह्न 5.34 बजे

**38. सदस्यों द्वारा निवेदन**

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्रीमती किरण अनुपम खेर ने समय पर कार्यवाही करने में चंडीगढ़ पुलिस की लापरवाही के कारण स्टाकिंग पीड़िता के साथ हुए कथित अन्याय के बारे में निवेदन किया।

श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज, श्री भगवंत मान, श्री एम॰ बी॰ राजेश, डॉ॰ मनोज राजोरिया, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल सहयोजित हुए।

$श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

सायं 6.00 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार,* 11 *अगस्त,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव

---

**दिनांक 9.8.2017**

**के**

**समाचार—भाग एक सं॰ 243 का**

**शुद्धिपत्र**

पृष्ठ 3, क्रमांक 29* श्री अश्विनी कुमार चौबे ***के पश्चात्***

क्रमांक 30* श्री भर्तृहरि महताब ***जोड़ा जाए।***

# लोक सभा

---

समाचार—भाग 1

**(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)**

---

**शुक्रवार, 11 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 (शक)**

---

**संख्या 245**

पूर्वाह्न 11.00 बजे

**1. तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 361—364 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 365—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

**2. अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4199, 4201—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 4200 का सदस्य द्वारा वापस लिए जाने के कारण लोप किया गया।

अपराह्न 12.02 बजे

**3. सभा पटल पर रखे गए पत्र**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(3) (एक) सेन्ट्रल एडाप्टशन रिसोर्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल एडाप्टशन रिसोर्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान प्रतिषेध (संशोधन) नियम, 2017 जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 500(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2017 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰

(9) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती-सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन), नागपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट (अर्स्टहवाइल-सेंट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन), नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) यूरेनियम कोर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष

(5) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(14) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अधीन विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2017 जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 585(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 5/7/2014-ईपी(ईपी एग्री-वी)/प्लांट-डी जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं॰ 5/7/2014-ईपी (एग्री-वी)/प्लांट-डी में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिृत्ति सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिृत्ति सलाहकार) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति स्थल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

अन्य शर्तें) नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का उर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के अधीन सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ:एचआरडी:आईआरपी:2017-18:116 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2017, जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 557(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2017, जो 16 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1927(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2017, जो 18 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 891(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(दो) सा॰का॰नि॰ 491(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 9.3.2012 से 1.3.2017 की अवधि के दौरान प्रवृत्त सामान्य पद्धति के कारण नामित प्रयोगशालाओं के अधिकृत कार्यालयों/अभिकरणों द्वारा ऐसे तराशे गए और पालिश किए गए हीरे के पुन: आयात पर संदेय पूरी डयूटी नहीं लगाए जाने/प्रभावित किए जाने के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 736(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं॰ 52/2003-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 738(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 9/2012-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 739(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं॰ 40/2015-सीशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 833(अ) जो 5 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुक्त विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट अथवा डेवलपर द्वारा माल के आयात पर लगाए जाने योग्य एकीकृत कर से छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(23) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 737(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं॰ 23/2003-के॰उ॰शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(24) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन

(25) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 603(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.6.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 604(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रधान केन्द्रीय कर आयुक्त, बेंगलुरू वेस्ट को गैर कराधान क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त अथवा सहमत तथा गैर कराधान आनलाइन प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आनलाइन जानकारी और डाटाबेस अभिगम और पुन:प्राप्ति सेवा के मामले में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 662(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 697(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 698(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 699(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

सेवाओं के आयात पर एकीकृत कर लगाए जाने से छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(26) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 605(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 22.06.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 606(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय www.gst.gov.in वेबसाइट को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 607(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केवल कर योग्य आपूर्ति में नियोजित व्यक्ति जिसपर कुल कर विलोमत: प्रभार के आधार पर संदेय किए जाने की संभावना है, को छूट प्रदान करना है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 608(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अंतर्गत सत्यापन की विधियों को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 609(अ) जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय कर अधिकारियों की अधिकारिता को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 जो 19 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 610(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 658(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की कतिपय धाराओं को 01.07.2017 से लागू करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 663(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 659(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19.6.2017 की अधिसूचना सं॰ 6/2017–केंद्रीय कर में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 660(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कर बीजक पर अपेक्षित एचएसएन डिजिट की संख्या को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा॰का॰नि॰ 661(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत ब्याज दर विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा॰का॰नि॰ 818(अ) जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न निदेशालयों के अधिकारियों को अधिकारिता और शक्ति समनुदिष्ट करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 1 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 819(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 848(अ) जो 7 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एकीकृत कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए

(सोलह) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 965(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(27) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 189 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वित्त (कठिनाईयों को दूर किया जाना) आदेश, 2017 जो 29 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचयना संख्या का॰आ॰ 1702(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(28) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1079(अ) जो 6 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (एनडीपीएस अधिनियम), भोपाल में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(2) का॰आ॰ 1371(अ) जो 1 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 339(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(3) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1575(अ) जो 16 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय शिमला में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(4) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा

अपर जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिलीगुड़ी के न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(5) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1675(अ) जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् जिला और सत्र न्यायालय देहरादून, में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(6) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1788(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, जगदलपुर में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(7) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1787(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, मोहाली में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(8) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1785(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् सिटी सिविल और सत्र न्यायालय मुंबई में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(9) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1786(अ) जो 5 जून, 2017 के भारत के राजपत्र

(10) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1864(अ) जो 9 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(11) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 1879(अ) जो 13 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् जिला न्यायाधीश-चार सह प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(12) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 2033(अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात् 49 अपर सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, बैंगलुरू सिटी में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(13) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 2285(अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय अर्थात केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले, जयपुर के विशेष न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है।

(14) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत का॰आ॰ 2286 (अ) जो 21 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की

(29) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 688(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन/मानदेय के भुगतान के लिए इस योजना के संबंध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 689(अ) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को योजना की प्रसुविधाएं दिए जाने के संबंध में आधार का उपयोग किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2417(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 688(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2418(अ) जो 31 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 जो 22 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 155(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 1206(अ) जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल सर्व शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी, शिमला के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012–2013 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अॅथारिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014–2015 और 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन अॅथारिटी) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2014–2015 और 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2014–2015 और 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2014–2015 और 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(47) (एक) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) सर्व शिक्षा अभियान–यूटी मिशन ॲथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान–यूटी मिशन ॲथारिटी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) सर्व शिक्षा अभियान–यूटी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान–यूटी ऑफ पुडुचेरी के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आफ दमन और दीव, दमन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) यूनियन टैरिटरी मिशन अथारिटी दादर और नगर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टैरिटरी मिशन अथारिटी दादर और नगर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेलंगाना सर्व शिक्षा अभियान, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 और

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल ब्रेल प्रेस, कोलकाता के वर्ष 2015-1016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) आल इंडिया कोफेडरेशन आफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया कोफेडरेशन आफ द ब्लाइंड, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) मित्र ज्योति, बेंगलुरू के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मित्र ज्योति, बेंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

(68) (एक) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2017 जो 20 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 268(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2017 जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 664(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(72) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 26 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2017 का पहला परिनियम, जो 24 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 947(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(73) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय रोजगार परकता अभिवृद्धि मिशन) (एनईईएम) विनियम, 2017 जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 37-1/डी-एसडीसी/नीम/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी की बड़ी/प्रमुख शाखा और उनके संगत/उपयुक्त पाठ्यक्रम जिनके फलस्वरूप इंजीनियरी प्रौद्योगिकी की डिग्री मिलती है) 2017 शिक्षण पद के लिए भर्ती; जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ सं॰ 27/आईएफडी/ वेतन/01/2017-18 में प्रकाशित हुए थे।

(74) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या सीयूजे/विनियम/04/2010 जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ झारखंड के अध्यादेश संख्यांक ओए-2, ओए-5 और ओई-1 के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या एचएनबीजीयू/आरओ/2017/285 जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अध्यादेशों को तैयार किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या आर/2012/380 जो 24 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के परिनियम सं॰ 15(1) में संशोधन किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा॰/329 जो 8 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ गुजरात के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(पांच) अधिसूचना संख्या 2-4/2009-प्रशा॰/1241 जो 11 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल

सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हिमाचल प्रदेश के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(सात) अधिसूचना संख्या सीयूएच/2016/रेग./अधिसूचना/346(ए) जो 22 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ हरियाणा के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(आठ) अधिसूचना संख्या सीयूजे/प्रशासन/अध्यादेश/2017/519 जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ जम्मू के अध्यादेश संख्यांकों में संशोधन किया गया है।

(नौ) अधिसूचना संख्या 243 जो 20 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ तमिलनाडु के परिनियम सं॰ 15(1) में संशोधन किया गया है।

(75) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाऊंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखत पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015–16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ फिलोसिफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015–16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015–16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015–16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015–16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, राऊरकेला के वर्ष 2015–16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हमीरपुर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

(93) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैंट अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमैंट इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(100) उपर्युक्त (99) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(101) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट शिलोंग, शिलोंग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) उपर्युक्त (103) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(3) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और बेल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड के बीच वर्ष

(5) बीईएमएल लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(6) बीईएमएल लिमिटेड और विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

**4. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 10 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में सर्वश्री दिलीप भाई पांड्या, श्री डेरेक ओ ब्रायन और श्री पी॰ भट्टाचार्य की राज्य सभा से अवकाश ग्रहण से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के स्थान पर राज्य सभा के तीन सदस्यों को नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के लिए नियुक्त करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और श्री नारायण लाल पंचारिया, श्री पी॰ भट्टाचार्य और श्री डेरेक ओ ब्रायन, जिन्हें 19.08.2017 से उक्त समिति के लिए विधिवत् नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया गया है, के नामों की सूचना भी दी।

(दो) कि राज्य सभा 10 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में श्री डेरेक ओ ब्रायन द्वारा राज्य सभा से अवकाश ग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति के स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किए जाने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा श्री डेरेक ओ ब्रायन, जो उक्त समिति के लिए 19.08.2017 से पुनर्नियुक्त हुए हैं, के नाम की सूचना भी दी।

(तीन) कि राज्य सभा 10 अगस्त, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 अगस्त, 2017 को पारित बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

**5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन**

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा

(2) 'अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय' के बारे में 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 81वां प्रतिवेदन।

**6. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश**

श्री रत्न लाल कटारिया ने चालू सत्र के दौरान हुई गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की 34वीं से 36वीं बैठकों का कार्यकारी सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

**7. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़ ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

**8. विदेशी मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

डॉ॰ शशि थरूर ने 'भारत-पाकिस्तान संबंध' विषय पर विदेशी मामलों संबंधी समिति (2016-17) का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

**9. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण**

डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 13वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) (16वीं लोक सभा) के बारे में 14वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

**10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) वित्त मंत्री, कार्पोरेट कार्यमंत्री और रक्षा मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) महिला और बाल विकास मंत्री ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मागों (2015-16) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 268वें प्रतिवेदन तथा अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 58) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में

अपराह्न 12.09 बजे

**11. प्रस्ताव**

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 10 अगस्त, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

*(एक) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017*

*(दो) निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017*

अपराह्न 12.11 बजे

**13. विदाई संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने 16वीं लोक सभा के बारहवें सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

अपराह्न 12.19 बजे

**14. राष्ट्रीय गीत**

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.20 बजे

*(लोक सभा अपराह्न 12.20 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)*

**अनूप मिश्र**
महासचिव